FORM–D

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला गरियाबन्द (छ0ग0)

(पीठासीन न्यायाधीश– प्रशान्त कुमार देवांगन)

(Date of Judgement)

(निर्णय आज दिनांक 15/02/2024 को घोषित)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–620/2012

**CNR No - CG-RP05- 000044-2012**

अपराध क्रमांक–08/2012

आरक्षी केन्द्र – मैनपुर

| | |
|---|---|
| शिकायतकर्ता | आरक्षी केन्द्र मैनपुर<br>जिला गरियाबंद,(छ०ग०),<br>शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार साहू |
| राज्य द्वारा | श्री राम गोपाल दुबे,<br>सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, |
| अभियुक्तगण | 1– कुंवर सिंग मार्को पिता स्व० गुलाब सिंग मार्को, उम्र–64 वर्ष, निवासी– अहिरगंवा, थाना पुरना पठार, जिला अनुपपुर (म०प्र०)<br>2– भूपेश फाये पिता स्व० डॉ० जे बी फाये, उम्र–42 वर्ष, निवासी– शैलेन्द्र नगर, सी–139 रायपुर, थाना सिविल लाईन जिला रायपुर (छ०ग०)<br>3. विकास पाण्डे पिता आर पी पाण्डे, उम्र– 40 वर्ष, निवासी– अमलीपदर, थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद (छ०ग०)<br>4– देव कुमार सोनी पिता लालाराम सोनी, उम्र–48 वर्ष, निवासी– बजरंग चौक गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद |

(छ०ग०)

5– राजेन्द्र मांझी पिता हीरासिंह, उम्र– 46 वर्ष, निवासी–फरसरा, थाना इंदागांव जिला–गरियाबंद (छ०ग०)

6– सुश्री मीना तिर्की पिता स्व० ईश्वर प्रसाद तिर्की, उम्र–55 वर्ष, निवासी–रावणभांठा गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ०ग०)

7– उमेश कुमार पिता ईश्वर सिंह, उम्र– 44 वर्ष, निवासी–अमलीपदर, थाना– अमलीपदर, जिला गरियाबंद (छ०ग०)

8– नंदकिशोर पिता खेमराज देवांगन, उम्र– 35 वर्ष, निवासी–कटगी, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)

9– कमलेश माखिजा पिता शेलुदास, उम्र– 43 वर्ष, निवासी– भानखोज, थाना आरंग, जिला रायपुर (छ०ग०)

10– कुमारी सावित्री पिता टिभूराम निषाद, उम्र–30 वर्ष, निवासी–फिंगेश्वर थाना फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद (छ०ग०)

11– लखन लाल साहू पिता बृजलाल साहू, उम्र–30 वर्ष निवासी–भैंसा, थाना खरोरा, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)

12– अश्वनी कुमार साहू पिता चमरुराम साहू,उम्र– 34 वर्ष, निवासी–बुडेनी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ०ग०)

13– लोकेश्वर तारक पिता दीनदयाल तारक, उम्र– 32 वर्ष, निवासी– अटंग थाना कुरद, जिला धमतरी (छ०ग०)

14– कुंतराम पिता स्व० चोवाराम साहू, उम्र– 38 वर्ष, साकिन–परसदाकला, थाना फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद (छ०ग०)

| | |
|---|---|
| | 15– राजेश कुमार साहू पिता टीकाराम साहू, उम्र–24 वर्ष, साकिन–गोबरा नवापारा, रिलायंस टावर के पास, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर (छ०ग०)<br>16– ओमप्रकाश साहू पिता जगतराम साहू, उम्र–26 वर्ष, साकिन– इर्रा, थाना भरवारा जिला धमतरी (छ०ग०)<br>17– तुलसीराम सिन्हा पिता पहरुराम सिन्हा, उम्र– 30 वर्ष, साकिन–सिलघट, थाना भरवारा, जिला धमतरी (छ०ग०)<br>18– पिंकु साहू पिता सखाराम साहू, उम्र–25 वर्ष, निवासी– बुडेनी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ०ग०)<br>19– संजय वर्मा पिता श्री विशाल वर्मा, उम्र– 35 वर्ष, साकिन– ग्राम मटीया, थाना पाटन, दुर्ग (छ०ग०)<br>20– नदंकुमार देशलहरे –फरार।<br>21– कु० खिलेश्वरी साहू, – फरार।<br>22– निजाम सिंह कश्यप – मृत।<br>23– अमृत लाल साहू– मृत।<br>24– निरज सिंह ठाकुर–मृत। |
| अभियुक्तगण की ओर से | 1. श्री मोह० शेख सिराज, अधिवक्ता<br>2. श्री एम खान, अधिवक्ता<br>3. श्री धरमराज सिन्हा, अधिवक्ता<br>4. श्री एच एन त्रिवेदी, अधिवक्ता<br>5. श्री एच एस यदु, अधिवक्ता<br>6. श्री मोईन कुरैशी, अधिवक्ता |

## FORM–E

| | |
|---|---|
| Date of offence | 2007 से अब तक |
| Date of FIR | 12/01/2012 |
| Date of charge sheet | 09/2017 |
| Date of framing charges | 15/01/2019, 16/03/2019, 16/02/2019, 15/01/2019, 03/07/2013, 03/06/2013, 08/11/2019 |
| Date of commencement of Evidence | 17/07/2013 |
| Date of the judgement is reserved | – |
| Date of judgement | 15/02/2024 |
| Date of sentencing Order, if any | – |

## Accused details

| Rank of the accused | Name of the accused | Date of arrest | Date of release on bail | Offence charged with | whether acquitted or convicted | Sentence imposed | Period of detention undergone during for trial for purpose of section 428 Cr.p.c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुंवर सिंह मार्को | 15.03.2012 | 12.10.2012 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15/03/2012 से दिनांक 12/10/2012 तक |
| 2 | कुन्तराम साहू | 20.06.2012 | 29.06.2012 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 26/06/2012 से दिनांक 29/06/2012 तक |
| 3 | पिंकुराम साहू | 20.06.2012 | 29.06.2012 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 26/06/2012 से दिनांक 29/06/201 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सहपठित धारा 34 | | | 2 तक |
| 4 | राजेश कुमार साहू | 20.06.2012 | 28.10.2013 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 20/06/2012 से दिनांक 28.10.2013 तक |
| 5 | तुलसी राम सिन्हा | 29.06.2012 | 05.07.2012 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 29/06/2012 से दिनांक 05/07/2012 तक |
| 6 | ओमप्रकाश साहू | 18.07.2012 | 24.07.2012 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 18/07/2012 से दिनांक 24/07/2012 तक |
| 7 | उमेश कुमार पटेल | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 24/11/2014 से दिनांक 28/11/2014 तक |
| 8 | देवकुमार सोनी | 15.01.2013 | 15.01.2013 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 9 | भूपेश फाये | 15.01.2013 | 15.01.2013 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 10 | सुश्री मीना तिर्की | 09.03.2015 | 09.03.2015 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 11 | विकास पाण्डे | 08.04.2015 | 08.04.2015 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 12 | राजेन्द्र मांझी | 15.09.2015 | 17.09.2015 | 420 एवं सहपठित 120 बी भा०दं०सं० | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15.09.2015 से दिनांक 17.09.2015 तक |
| 13 | कमलेश माखिजा | 15.09.2015 | 17.09.2015 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15.09.2015 से दिनांक 17.09.2015 तक |
| 14 | लोकेश्वर तारक | 16.09.2015 | 18.09.2015 | 420, 467, 468, 471, 120 बी | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 16.09.2015 से दिनांक |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | | | 18.09.2015 तक |
| 15 | अश्वनी कुमार साहू | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.10.2015 से दिनांक 07.10.2015 तक |
| 16 | नंदकिशोर देवांगन | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.10.2015 से दिनांक 07.10.2015 तक |
| 17 | संजय कुमार वर्मा | 05.11.2015 | 29.12.2015 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०दं०सं एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.11.2016 से दिनांक 29.12.2015 तक |
| 18 | कु० सावित्री निषाद | 27.06.2016 | 22.08.2016 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा०द०सं० एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 27.06.2016 से दिनांक 22.08.2016 तक |
| 19 | लखन लाल साहू | 11.08.2016 | 22.09.2016 | 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि एवं सहपठित धारा 34 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 11.08.2016 से दिनांक 22.09.2016 तक |

## FORM–F


| S.NO | Description | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | Heading of judgement | 1 |
| 2 | Appearance of Advocates | 3 |
| 3 | Charge | 7–8 |
| 4 | Admitted Facts | 9 |
| 5 | Prosecution story | 9 |
| 6 | Points for Determination | 11–13 |
| 7 | Reason for decision | 13–102 |
| 8 | Reasons | – |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | sentence | – |
| 10 | Period of detention and Set off | 103–105 |
| 11 | Disposal of property | – |
| 12 | Order of compensation | – |
| 13 | Certificate under section 428 Cr.pc | 106–107 |
| 14 | Warrant of commitment on a sentence | – |
| 15 | Copy of judgement | 103–105 |

1) अभियुक्तगण पर भा०दं०सं० की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2007 से दिनांक 12.01.2012 तक जनपद पंचायत मैनपुर खुर्द, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद, क्षेत्रांतर्गत शिक्षाकर्मी के पद के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पद के चयन हेतु स्काउट गाईड एवं अन्य दस्तावेज छल करने के आशय से नौकरी प्राप्त करने के लिये बेईमानी से प्रस्तुत कर, अन्य अभ्यर्थी के साथ छल कारित किया एवं मूल्यवान दस्तावेज स्काउट गाईड एवं अन्य दस्तावेज को शिक्षाकर्मी की नौकरी प्राप्त करने के आशय से कूटरचना किया तथा शासन से छल करने के आशय प्रयोजन से स्काउट गाईड प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पात्र अभ्यर्थीयों का हक छीनकर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर छल के प्रयोजन से कूटरचना कारित किया और मुख्य कार्यापालन अधिकारी कार्यालय मैनपुर में प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज होना जानते हुये भी ऐसे दस्तावेजों को असली के रुप में बेईमानीपूर्वक उपयोग किया

तथा अन्य आरोपीगण कुंवर सिंह मार्को (सी०ई०ओ०), कुंतराम साहू, पिंकू साहू, राजेश कुमार, तुलसीराम सिन्हा, ओमप्रकाश, नीरज सिंह ठाकुर (जनपद उपाध्यक्ष मैनपुर) यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी होना जानते हुये, विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्र पूर्वक शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति प्राप्त किया।

2) इसी प्रकार आरोपीगण कुवंर सिंह मार्को, भूपेश फाये, विकास पाण्डे, देवकुमार सोनी, राजेन्द्र मांझी, सुश्री मीना तिर्की, उमेश कुमार, नीरज सिंह ठाकुर पर धारा 420, सहपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप है कि उन्होनें उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर पदस्थ होते हुये शिक्षाकर्मी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पद के चयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में अन्य आवेदकगण से मिलकर स्काउट/गाईड एवं अन्य दस्तावेज को छल करने के आशय से अपात्र व्यक्तियों को नौकरी दिलाने में सहयोग करने के लिये बेईमानी से प्रस्तुत कराकर छल कारित किया एवं यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी होना जानते हुये, विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्र पूर्वक शिक्षाकर्मी के पद की नियुक्ति प्रदान की गई।

3) प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण के आरोपी नदंकुमार देशलहरे एवं कु० खिलेश्वरी साहू फरार है तथा निजाम सिंह कश्यप, निरज सिंह ठाकुर एवं अमृत लाल साहू का विचारण के दौरान फौत हो चुका है। अतः यह निर्णय अन्य आरोपीगण के विरुद्ध घोषित किया जा रहा है।

4) अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्ष 2006–07 में शिक्षा कर्मी वर्ग 03 की भर्ती जनपद पंचायत मैनपुर के द्वारा कि गई, जिसमें महामहिम राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर युक्त स्काउट/ गाईड प्रमाण पत्र, कूटरचित हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर शिक्षा कर्मी वर्ग –03 की नौकरी प्राप्त किया, पात्र अभ्यर्थीयों शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नौकरी प्राप्त करने से वंचित रहे। आवेदक कृष्ण कुमार साहू, की शिकायत पत्र जिसमें जानबूझ कर चयन समिति द्वारा विहित अर्हता का अंक प्रदान कर की गई नियुक्ति की सुक्ष्म जांच करने की शिकायत जांच, अनु० अधि० पुलिस गरियाबंद के किये जाने पर अनावेदकों के विरुद्ध कूटरचित स्काउट गाईड, खेल प्रमाण पत्र एवं हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र को कूटरचित होना जानते हुए, आवेदन के साथ संलग्न कर प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेना तथा मूल्यांकन चयन समिति द्वारा भी प्रमाण पत्रों को फर्जी होना जानते हुये अंक प्रदाय करने पर शिक्षाकर्मी चयन मूल्यांकन समिति के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

5) विवेचना के दौरान आरोपी, कुंतराम साहू, पिंकू राम साहू, राजेश कुमार साहू, तुलसी राम सिन्हा, ओमप्रकाश साहू के द्वारा कूटरचित स्काउट/गाईड प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने पर फर्जी होना पाया गया तथा आरोपी तात्कालीन मु०का०पा० अधिकारी मैनपुर के०एस०मार्को लोक सेवक होते हुये तथा आरोपी नीरज सिंह ठाकुर जनपद पंचायत मैनपुर के उपाध्यक्ष होते हुये तथा चयन समिति सदस्य होते हुये, आरोपीगण शिक्षाकर्मी से रुपये/पैसे का लाभ लेकर षड़यंत्र पूर्वक आरोपी शिक्षाकर्मी को अंक प्रदाय किया गया। जिससे पात्र उम्मीदवारों का चयन ना कर अपात्रों का चयन किया गया। आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं प्रकरण के आरोपीगण के विरुद्ध अपराध सदर सिद्व पाये जाने से अभियोग पेश किया गया।

6) अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर, अभियुक्तगण ने अपना अपराध अस्वीकार किया तथा प्रकरण में विचारण चाहा। अभियुक्तगण की प्ली यथासंभव अभियुक्त के शब्दों में लेखबद्व की गयी। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत् अभियुक्तगण कथन में, अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

**–प्रकरण में विचारणीय बिंदू इस प्रकार है–**

1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.01.2012 तक जनपद पंचायत मैनपुर खुर्द थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद, क्षेत्रांतर्गत शिक्षाकर्मी के पद के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पद के चयन हेतु स्काउट गाईड एवं अन्य दस्तावेज छल करने के आशय से नौकरी प्राप्त करने के लिये बेईमानी से प्रस्तुत कर, अन्य अभ्यर्थी के साथ छल कारित किया ?

2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मूल्यवान दस्तावेज स्काउट गाईड एवं अन्य दस्तावेज को शिक्षाकर्मी की नौकरी प्राप्त करने के आशय से कूटरचना कर प्रस्तुत किया ?

3) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर शासन से छल करने के आशय प्रयोजन से स्काउट गाईड प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पात्र अभ्यर्थीयों का हक छीनकर कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर छल के प्रयोजन से कूट रचना कारित किया ?

4) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मुख्य कार्यापालन अधिकारी कार्यालय मैनपुर में प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज

होना जानते हुये भी ऐसे दस्तावेजों को असली के रुप में बेईमानीपूर्वक प्रस्तुत किया ?

5) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अन्य आरोपीगण कुंवर सिंह मार्को (सी०ई०ओ०), कुंतराम साहू, पिंकू साहू, राजेश कुमार, तुलसीराम सिन्हा, ओमप्रकाश, नीरज सिंह ठाकुर (जनपद उपाध्यक्ष मैनपुर) यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी होना जानते हुये, विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्र पूर्वक शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्ति प्राप्त किया ?

6) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर पदस्थ होते हुये शिक्षाकर्मी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पद के चयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में अन्य आवेदकगण से मिलकर स्काउट/गाईड एवं अन्य दस्तावेज को छल करने के आशय से अपात्र व्यक्तियों को नौकरी दिलाने में सहयोग करने के लिये बेईमानी से प्रस्तुत कराकर छल कारित किया ?

7) क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र कूटरचित एवं

फर्जी होना जानते हुये, विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्र पूर्वक शिक्षाकर्मी के पद की नियुक्ति प्रदान की गई ?

8) दोष मुक्ति या दोष सिद्धि ?

**—: विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 से 6 एवं 7 पर सकारण निष्कर्ष एवं आधार :—**

7) चन्द्रकुमार नागेश अ०सा०–1 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे आरोपीगण को जानते है। वे घटना दिनांक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय मैनपुर में सहायक लिपिक के पद पर पदस्थ थे। तब दिनांक 25/07/12 को आरक्षी केन्द्र के पुलिस वाले, विमलेश दुबे उपनिरीक्षक कार्यालय में आए थे। तब उन्हें बताये कि शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित अपराध पंजीबद्व हुआ है। जिसमें कुछ दस्तावेज जप्त करना है। फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में संधारित दस्तावेज को उक्त अधिकारी के आदेशानुसार दस्तावेज उसने पुलिस को दिया था। उनके कब्जे से पुलिस वाले शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित आवेदन में संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, निवास, स्काउट गाईड, खेल कूद, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज कुल 14 अभ्यार्थियों के दस्तावेज जप्त किये थे।

8) चन्द्रकुमार नागेश अ०सा०–1 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जो उनके पास कार्यालय में मौजूद है। जिसे जप्त किये थे। जप्ती पत्रक प्रपी0–1 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले उसने केवल जप्ती कार्यवाही किये थे। उसने पुलिस को घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने पुलिस को प्रपी–2 के अनुसार कथन देना स्वीकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जो दस्तावेज उनसे जप्ती हुए है। उक्त दस्तावेज तीन साल से उनके कब्जे में है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस वालों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आदेशित प्रमाण पत्र को नहीं दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उन्हें अधिकारी द्वारा मौखिक आदेश दिया गया था। साक्षी ने पुनः स्वतः कहा है कि उनको लिखित में आदेश दिया गया था। इसलिए उसने पुलिस वालों को दस्तावेज दिया था।

9) चन्द्रकुमार नागेश अ०सा०–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उनके पास तीन साल से दस्तावेज थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों का उन पर शक था कि उसने हेर फेर तो नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्र के अलावा उसने पुलिस वाले अलग से कोई पूछताछ नहीं किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले उनसे केवल जप्ती के संबंध में पूछताछ किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक के

द्वारा कौन–कौन से दस्तावेज और किसके किसके दस्तावेज जप्त किये थे। उन्हें आज याद नही है।

10) राजेश कुमार साहू अ०सा०–2 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानते है तथा अनुपस्थित आरोपीगण को भी वे नहीं जानते है। वे घटना दिनांक के पूर्व सन 2006 में विकासखड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर पदस्थ थे और सन् 2006 में उनका स्थानांतरण सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कबीरधाम होने से वे चले गये। उन्हें आज याद नहीं है कि उनके समक्ष कुछ शिक्षाकर्मी के आवेदन पत्र जमा हुए थे या नहीं तथा उन्हें नियुक्ति समिति और कार्यवाही के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना के संबंध में पुलिस को कथन दिया था। उसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि उनका सन् 2006 में कवर्धा स्थानांतरण हो गया था, उन्हें शिक्षाकर्मी नियुक्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने प्रपी –3 का कथन पुलिस को देना स्वीकार किया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण शून्य रहा।

11) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपीगण को चेहरे से नहीं जानते, नाम से जानते है। जो अनुपस्थित है। उन्हें भी नाम से जानते है, चेहरे से नहीं जानते है। घटना सन 2007 की है। जनपद पंचायत मैनपुर भर्ती वर्ष 2007 शिक्षाकर्मी वर्ग तीन की नियुक्ति से

संबंधित सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने पर संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की गई। जिसमें शिक्षाकर्मी कुंतराम साहू, प्राथमिक शाला धोबनडीह के राज्यपाल के द्वारा उपयोग में लाये गये, राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 1991, शिक्षाकर्मी तुलसीराम सिन्हा, प्राथमिक शाला कुरला पारा के द्वारा राज्यपाल के द्वारा उपयोग में लाये गये, राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 1999, शिक्षाकर्मी सावित्री निषाद प्राथमिक शाला शुक्ला भाटा द्वारा उपयोग में लाये गये राष्ट्रीय खेल कुद प्रमाण पत्र वर्ष 2002 प्रमाण पत्र को जारी नहीं होना बताया।

12) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि शिक्षाकर्मी लोकेश्वर प्रसाद तारक माध्यमिक शाला कुचेगा द्वारा उपयोग में लाये गये राज्य पाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2003, शिक्षाकर्मी पिंकू राम साहू प्राथमिक शाला पथराझोर की द्वारा उपयोग में लाया गया राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2004, शिक्षाकर्मी राजेश कुमार साहू शासकीय प्राथमिक शाला कछरापारा के दस्तावेज में संलग्न राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र, वर्ष 2004–05 एवं शिक्षाकर्मी ओमप्रकाश साहू माध्यमिक शाला इंदागांव द्वारा उपयोग में लाये गये राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2005 के संबंध में राज्य सचिव भारत एवं

स्काउट गाईड कार्यालय रायपुर ने अपने पत्र में उपयोग में लाये गये राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र को जारी नहीं होना बताया।

13) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि शिक्षाकर्मियों के अध्यनरत संस्था के प्राचार्य ने दी गई जानकारी में संस्था की ओर से छात्र जीवन में उपरोक्त अभ्यार्थियों छात्र जीवन में स्काउट गाईड एवं खेल में भाग नहीं लेना बताया। उपयोग में लाये गये राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 1991, 1999, 2003, 2004–2005 में एक ही राज्यपाल के हस्ताक्षर वाले पदमुद्रा एक ही समान थे। जबकि वर्ष 1991 में माननीय एम ए खान, वर्ष 1999 में डॉक्टर भाई महावीर प्रसाद, अविभाजित म०प्र० के राज्यपाल रहे हैं। वर्ष 2002 में माननीय दिनेश नंदन सहाय छ०ग० के राज्यपाल रहे है। जबकि सावित्री निषाद के राष्ट्रीय खेलकूद प्रमाण पत्र वर्ष 2002 में माननीय शेखर दत्त को डायरेक्टर जनरल बताया गया है।

14) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जबकि शेखर दत्त जी वर्तमान समय में छ०ग० के राज्यपाल वर्ष 2010 से अब तक है। इसी तरह शिक्षाकर्मी ओमप्रकाश वर्ष 2004 में हायर सेकेन्डरी में छ०ग०मा०शि०म० रायपुर की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। जबकि उपयोग में लाया गया राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2005 छात्र जीवन से बाहर है। जो प्रथम

दृष्ट्या संदेहास्पद व फर्जी प्रतीत होता है। जबकि शिक्षाकर्मी राजेश कुमार साहू आवेदन में संलग्न दस्तावेज राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2004 एवं 2005 का उल्लेख है। शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की विहित अर्हता हायर सेकेन्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र 12 वीं प्रमाण पत्र का छ०ग०मा०शि०म०रायपुर के अंक प्रति पर्ण वेबसाईड डब्लू डब्लू.डब्लू. सी.जी.बी.एस.ई.एन.आई.सी.आई एन. जिसमें 12 वीं का परीक्षा परिणाम अपडेट है, जिसमें मिलान करने पर मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र व उपयोग में लाये गये हायर सेकेन्डरी प्रमाण पत्र के अंकों में भारी भिन्नता पाई गई।

15) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जिसमें शिक्षाकर्मी संजय कुमार वर्मा प्राथमिक शाला बेसराझर के 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/282 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/332 अंतर 11 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी लखन लाल साहू प्राथमिक शाला बिरीघाट 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/241, उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/349 अंतर 24 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी अश्वनी कुमार साहू प्राथमिक शाला भेजीपदर 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/288 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/338 अंतर 11 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी नंदकुमार देशलहरे प्राथमिक शाला पथराझोरखी 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/264 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/364 अंतर 20 प्रतिशत है एवं शिक्षाकर्मी

खिलेश्वरी साहू प्राथमिक शाला जुरापहरा उरमाल 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/307 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/366 अंतर 12 प्रतिशत है कि भारी भिन्नता पाई गई।

16) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि इसी तरह शिक्षाकर्मी नंदकिशोर देवांगन प्राथमिक शाला कोतरा डोंगरी द्वारा उपयोग में लाया गया 12 वीं प्रमाण पत्र वर्ष 2005 अनुक्रमांक 15502257, प्राप्तांक 500/407 बराबर 81.4 प्रतिशत के संबंध में परीक्षार्थी के परीक्षा उत्तीर्ण संस्था शासकीय कन्या आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी ने अपने पत्र में उक्त परीक्षार्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेना बताया। छात्र द्वारा कन्या शाला में नियमित विद्यार्थी का होना प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसी तरह शिक्षाकर्मी कमलेश माखीजा प्राथमिक शाला कुल्हाडीघाट द्वारा उपयोग में लाया गया डिप्लोमा इन एजूकेशन प्रमाण पत्र वर्ष 2003 अनुक्रमांक 4285363 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) पेण्ड्रा रोड बिलासपुर के संबंध में संस्था के प्राचार्य ने उक्त परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना बताया है। प्रमाण पत्र में बने हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा को गलत बताया है।

17) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि शिक्षाकर्मी भर्ती संहिता के अनुसार योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का सम्यक रूप से

बिना परीक्षण किये व मूल प्रमाण पत्रों से बिना मिलान किये जनपद पंचायत मैनपुर के तत्कालीन जिम्मेदार लोक सेवक के०एस०माकों सी०ई०ओ०, भूपेश फाये बी०ई०ओ०, सुश्री मीना तिर्की परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, डी०के० सोनी पंचायत निरीक्षक, उमेश पटेल जनपद अध्यक्ष, नीरज ठाकुर जनपद उपाध्यक्ष, निजाम सिंग कश्यप, अमृतलाल साहू, विकास पांडे, राजेन्द्र मांझी, जिम्मेदार चयन समिति/छानबिन समिति के सदस्य होते हुए उपयोग में लाये गये योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र को बनावटी होना जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाकर अपात्रों को उसमें अंक लाभ देकर मेरिट लिस्ट अंक तालिका सूची को प्रभावित किया गया।

18) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि इस तरह चयन समिति/छानबिन समिति के सदस्य पात्र बेरोजगारों से छल व धोखाधड़ी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया। नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा होने माननीय राज्यपाल के हस्ताक्षर के कूटरचित प्रमाण पत्रों के उपयोग करने जैसे अपराध का बोध होने पर लोक दस्तावेज साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत जांच कर विधिपूर्ण कार्यवाही हेतु दिनांक 28.06.11 को शासन को प्रस्तुत किया। तब उसने घटना का रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र मैनपुर में दर्ज कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–4

है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले विवेचना के दौरान उनके बताये अनुसार मौका नक्शा प्रपी–5 तैयार किये थे। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

19) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि पुलिस वाले उसने कार्यालय प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा जिला बिलासपुर, मा०शि०म० रायपुर एवं जनसूचना शिक्षा अधिकारी पेण्ड्रा एवं अंकसूची तथा शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल धमतरी का प्रमाण पत्र जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–6 तैयार किये थे। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले उनके कब्जे से जप्ती पत्रक प्रपी–7, प्रपी–8, प्रपी–9, प्रपी–10 एवं प्रपी–11 के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पुलिस वाले जप्त किये थे, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले उसने घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लिये थे। उसने जनसूचना अधिकारी पेण्ड्रा बिलासपुर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था। जो आवेदन की कार्बन प्रति प्रपी–12 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उसने जनसूचना अधिकारी शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुरूद से लोकेश्वर प्रसाद का हायर सेकेन्डरी परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था। जो आवेदन प्रपी–13 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

20) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उसने जनसूचना अधिकारी/प्राचार्य रानी श्याम कुमारी हायर सेकेन्डरी स्कूल फिंगेश्वर से छात्रा सावित्री निषाद के स्काउट/खेल प्रमाण पत्र की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन दिया था। जो प्रपी–14 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उसने जनसूचना अधिकारी/प्राचार्य हायर सेकेन्डरी स्कूल भेन्ड्री से पिंकू राम साहू को प्रदत्त स्काउट गाईड एवं प्रमाण की जानकारी हेतु आवेदन पेश किया था। जो आवेदन प्रपी–15 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उसने जनसूचना अधिकारी/ प्राचार्य शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल पचपेडी धमतरी, से ओमप्रकाश का हायर सेकेन्डरी परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी चाही गई थी। आवेदन प्रपी–16 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

21) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उसने जनसूचना अधिकारी/प्राचार्य शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल बागतराई जिला धमतरी से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था। जो प्रपी–17 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उसने जनसूचना अधिकारी/प्राचार्य शासकीय हरीहर हायर सेकेन्डरी स्कूल नवापारा राजिम जिला रायपुर से आवेदक राजेश कुमार साहू के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पेश किया था, जो आवेदन प्रपी–18 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उसने जनसूचना अधिकारी/

प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी जिला धमतरी से आवेदक नंदकिशोर देवांगन के हायर सेकेन्डरी परीक्षा परिणाम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रपी–19 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

22) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उसने वर्ष 2007 के संबंध जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर से शिक्षाकर्मी भर्ती जानकारी दिये जाने हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी कार्बन प्रति प्रकरण में संलग्न है। जो कार्बन प्रति प्रपी–20 है। जिसपर उनके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस अधीक्षक रायपुर को शिक्षाकर्मी वर्ग 03 भर्ती 2007 जनपद पंचायत मैनपुर जिला रायपुर के महामहिम राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर युक्त स्काउट/गाईड प्रमाण पत्र एवं कूटरचित प्रमाण में जानबूझकर चयन समिति द्वारा विहित अर्हता का अंक प्रदान कर की गई नियुक्ति का सूक्ष्म जांच कर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने बाबत आवेदन पेश किया था, जो आवेदन प्रपी–21 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है, जो पांच पन्नों में है तथा उसने संलग्न दस्तावेज लगभग 74 पेज दिया था।

23) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मैनपुर जनपद पंचायत के अलावा उसने मगरलोड, नगरी, धमतरी की भी शिकायत जांच के लिए पेश किया था। इन तीनों जगह में शिक्षाकर्मियों के विरूद्ध

मामले न्यायालय में पेश हो चुके है। वे पत्र पत्रिकाओं में शिकायत सुनने के बाद भारत का नागरिक होने के कारण और फर्जीवाड़ा मामला होने के कारण शिकायत पेश करते है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है, कि मैनपुर में उनके किसी रिश्तेदार द्वारा शिक्षाकर्मी के लिए फार्म भरा गया था और उसका चयन नहीं हुआ इसलिए उसने मैनपुर के जनपद पंचायत और शिक्षाकर्मी के विरुद्व जानकारी प्राप्त कर थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत किये है।

24) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि पहले उसने एस०पी० गरियाबंद को जांच हेतु आवेदन पेश किया था और उसके बाद उसने जांच होने के बाद अलग से थाना मैनपुर में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि थाना मैनपुर में उनके द्वारा शिक्षाकर्मियों के विरूद्व कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वतः कहा है कि उसने जो एस०पी० को आवेदन दिया, उसी के आधार पर मामला बनाया गया। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि सिर्फ उसने एस०पी० को भी जो आवेदन दिया था। उस पर से एफ०आई०आर० दर्ज किया गया। साक्षी ने स्वतः, कहा कि एफ०आई०आर० थाना के इंचार्ज जब दर्ज कर रहे थे तब उनके समक्ष एफ०आई०आर० दर्ज कर उनके से हस्ताक्षर लिया गया था।

25) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे स्वतः उपस्थित होकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने नहीं गये थे। उसने पुलिस अधीक्षक को जो आवेदन पेश किया था। उसके साथ प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया गया था, बाद में उन्हें थाना मैनपुर के द्वारा बुलाकर असल दस्तावेज जप्त किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने शिक्षाकर्मी भर्ती होने के बाद तीन साल बाद अप्रैल 2010 में उसने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज निकालने की कार्यवाही शुरू किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र को शिक्षाकर्मी ने पेश किया अथवा जनपद पंचायत समिति के द्वारा पेश किया गया अथवा अधिकारियों के द्वारा पेश किया गया इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी प्राप्त नहीं किया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि चाही गई जानकारी के अनुसार दस्तावेज डाक से प्रस्तुत कराया।

26) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है। जिसका उल्लेख आवेदन में किया जाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने शिक्षा कर्मियों ने जो आवेदन पेश किया था। उसकी प्रति उसने सूचना के अधिकार के तहत नहीं निकाली थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने शिक्षाकर्मियों के आवेदन में स्काउट गाईड का पेश करने

में उल्लेख किया गया है या नही वे नहीं बता सकते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र जो उन्हें सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुआ है। वह छायाप्रति प्राप्त हुआ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आज तक आरोपीगण के स्काउट गाईड की मूल प्रति नहीं देखीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि स्काउट गाईड की जो छायाप्रति उन्हें सूचना के अधिकार के तहत दी गई थी, वह असल से छायाप्रति कराकर दी गई थी या छायाप्रति से छायाप्रति कराकर दी गई थी। उन्हें जानकारी नहीं है।

27) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि स्काउट प्रमाण पत्र स्कूल से भी प्राप्त होता है और जो राज्य स्तर पर स्काउट गाईड में भाग लेते है। उसे राज्यपाल देता है और जो राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते है उसे राष्ट्रपति देता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र में जो राज्यपाल के हस्ताक्षर है। उसे वे देखकर नहीं बता सकते कि वह किस राज्यपाल के हस्ताक्षर है। साक्षी ने स्वतः कहा कि राजभवन से उसने इस संबंध में जानकारी प्राप्त किया है। जो माननीय के एम सेठ के हस्ताक्षर थे। ये बाते वे जो विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार बता रहे है कि के एम सेठ के हस्ताक्षर है।

28) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि किसी भी स्काउट गाईड प्रमाण पत्र में नाम और पिता के नाम के अलावा गांव का नाम, स्कूल का नाम आदि दर्ज नहीं किया गया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि स्काउट गाईड में क्रमांक और तारीख भी लिखा गया है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र के संबंध में जो सचिव ने जानकारी दिया है। वे कहा से प्राप्त हुई है, इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने राज्य सचिव छ०ग०शासन रायपुर कार्यालय जाकर राज्यपाल स्काउट गाईड पंजी प्रमाण पत्र में देखा है। स्काउट गाईड रजिस्टर जो सचिव के पास था, उसकी प्रति उनके प्राप्त नहीं की और ना ही उसने न्यायालय में पेश किया है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि फोटोकापी में जिसका नाम लिखा है, उसका असल नाम लिखा है या नहीं।

29) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि राज्य भवन से अथवा संबंधित विभाग से अथवा कहीं से भी स्काउट गाईड प्रमाण पत्र को किसने प्राप्त किया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जनपद पंचायत की समिति और उसके शासकीय अधिकारी की शिक्षाकर्मी भर्ती प्रस्ताव रजिस्टर की प्रति उसने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न नहीं किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि

शिक्षाकर्मी चुनाव समिति के बैठक में कौन कौन अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित है। उस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी भर्ती का जो प्रस्ताव किया गया था। उसमें जो उपस्थित नहीं थे, उनकी गलती है या नहीं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि जो अनुपस्थित थे। उन्होने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध दर्ज नहीं किया गया होगा।

30) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि शिक्षा समिति द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की सूची में हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया होगा तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तीन बार भी यदि शिक्षाकर्मी सूची में हस्ताक्षर किये जाने से इंकार किया गया होगा। तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि चयन समिति /छानबिन समिति को जिलाधीश महोदय रायपुर द्वारा लिखित में आदेश दिया गया होगा कि शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की सूची में हस्ताक्षर करें अथवा उनके विरूद्व धारा 85 ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी तो उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की सूची जो जारी की गई है। उसमें छानबिन समिति के समस्त पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होते है या अकेले

सी०ई०ओ० के, साक्षी ने स्वतः कहा कि अंक तालिका सूची जो जारी होती है। उसमें सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होते है।

31) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि नियुक्ति आदेश जो सी०ई०ओ० जारी करता है। वे चयन समिति और छानबीन समिति के अनुशंसा पर अकेले हस्ताक्षर से जारी करते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सी०ई०ओ० जो नियुक्ति आदेश जारी करते है। सभी में दर्शाया जाता है कि प्रमाण पत्र बाद में झूठे पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। साक्षी ने स्वतः कहा कि नियुक्ति निरस्त नहीं की गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जनपद पंचायत में शिक्षाकर्मीयों की नियुक्ति रद्द करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। साक्षी ने स्वतः कहा कि पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं जिला पंचायत सी०ई०ओ० रायपुर को लिखित शिकायत हेतु जांच प्रस्तुत किया था।

32) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके 12.01.12 को रिपोर्ट करने के बाद दो तीन दिन बाद उनके सामने घटना स्थल का नक्शा पंचायत बनाया गया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया गया था। उसने दिनांक 12.01.12 को थाना मैनपुर में प्रथम सूचना दर्ज कराया था। उसी दिन जप्ती पत्र के अनुसार

दस्तावेज जप्त कर दिया था। साक्षी ने फिर कहा कि रिपोर्ट के एक हफते के अंदर सभी दस्तावेज पेश किये थे और कुछ दस्तावेज उसने गरियाबंद में एस०डी०ओ० पी० के पास पेश किया था। उसने सभी जगह मांग अनुसार एक ही किस्म के दस्तावेज पेश किये। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सभी दस्तावेज रिपोर्ट करने के कितने दिन बाद पेश किये  है वे नहीं बता सकते है।

33) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जितने लोगों के विरूद्व, जिस जिस विभाग को आवेदन पेश किया था और वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसी को उसने थाने में पेश किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जितने भी प्राचार्यो से उसने जो जानकारी प्राप्त किया है, वे कहां से जानकारी प्राप्त किये है। उसकी जानकारी वे ही बता सकते है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र में जिस भी राज्यपाल के हस्ताक्षर है, वे किस राज्यपाल के हस्ताक्षर है। उस संबंध में उसने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि शिक्षाकर्मी के आवेदन पत्र के सहपत्र में अगर स्काउट गाईड की जानकारी नहीं दी गई हो तो उसमें शिक्षाकर्मी की कोई गलती नहीं है।

34) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रपी–20 के पांच पन्नों में उनके अंतिम पन्ने में हस्ताक्षर है, शुरू के चार पन्ने में

उनके कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रपी–20 में संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा प्रपी–20 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–20 में उसने जो 74 दस्तावेज तथा अन्य दस्तावेज पेश किया है। वे रिकार्ड में है या नहीं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि संपूर्ण दस्तावेजों की जांच करने के बाद उसका नंबर दिया जाता है और उसकी सूची बनाई जाती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके परिवार में उनके पिताजी और दो भाई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी खानदानी सात एकड़ से कुछ अधिक है। इसके अलावा उनके परिवार में और कोई जमीन नहीं है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे लोगों के विरूद्ध सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करते है और उन्हें बाद में ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करते है।

35) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने फिंगेश्वर जनपद पंचायत और छुरा जनपद पंचायत से जानकारी प्राप्त किया था, साक्षी ने स्वतः कहा कि जनपद पंचायत मगरलोड शिक्षाकर्मी भर्ती 2007 की जानकारी समय पर नहीं मिलने के कारण उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्राप्त किया या मांग किया। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने धमतरी, मगरलोड, कुरूद, फिंगेश्वर, कांकेर जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपात्र लोगों को

नौकरी दिलवाते है और पैसे प्राप्त करते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त विद्युत विभाग और नगर पंचायत, आवास घोटाला आदि में भी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त किये थे और रिपोर्ट किये है।

36) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने कृषि, सिंचाई एवं वन विभाग की सूचना अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने के बाद भी उनके विरूद्व कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किये है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने इन विभागों से पैसे प्राप्त होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके पिताजी शिक्षक थे और जब वे सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने 2009 में छोटे मकान को तोडकर बड़ा मकान बनाया। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने जो अभी मकान स्वयं बनाया है वो ग्राम चंदना के आसपास के एरिये में उतना बड़ा मकान किसी का नहीं है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि जितना पैसा उनके पिताजी को सेवानिवृत्त के समय मिला था उन सभी पैसों का उसने मकान में खर्चा कर दिया है। वे आज नहीं बता सकते कि उनका मकान वर्तमान में कितने का है।

37) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जो उनकी खानदानी जमीन है। उससे ही उनके परिवार का घर चलता है।

साक्षी ने स्वतः कहा कि उनके पास ट्रैक्टर और हारवेस्टर भी है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने ट्रैक्टर और हारवेस्टर सूचना के अधिकार के तहत पैसा प्राप्त करके खरीदा है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उनके पास 1984 के मॉडल की फियेट है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने उसे बेच दिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने 2010 में एक ट्रैक्टर खरीदा है। उसका क्रमांक सी जी 05 जी 2432 है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने हारवेस्टर 2011 में लिया है। ट्रैक्टर करीब छह लाख का आता है और हारवेस्टर भी छह–सात लाख का आता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके पास एक टाटा इंडिका कार है। जिसका क्रमांक सी जी 05 एल 5555 है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने उक्त कार को 2011 में पांच लाख में लिया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने फाइनेंस कराया था।

38) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके पास एक सी०डी डिस्कवर सी जी 04 डी यू 0232 है। जिसे उसने 2010 में लिया है। सी डी डिलक्स उनके पास 2008 से है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे श्याम साहू को जानते है। उसके विरुद्ध मामला चल रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि श्यामलाल साहू के द्वारा जनपद पंचायत मगरलोड में दस्तावेज की हेराफेरी और कांट छांट के संबंध में आरोप से बचने के लिए दस्तावेज

पेश किया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि अपने आरोप से बचने के संबंध में तथा प्रभावित पक्ष जान से मारने की धमकी तथा अपहरण करने के संबंध में पत्राचार भेजते रहते है। जिसकी उसने समय समय पर पत्राचार संबंधित थाना, एस०पी०, न्यायालय, राज्यपाल को पेश किया था, जो निरस्त हो गया था।

39) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने धमकी देने के विरुद्व मामला पेश किया था और कुछ अभी जाँच में लंबित है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने धमकी चमकी के संबंध में इस न्यायालय में आवेदन पेश नहीं किया है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण के द्वारा कोई हेराफेरी नहीं किया गया। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे आरोपीगण को फंसाने के झूटी रिपोर्ट दर्ज किये है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ओमप्रकाश पिता जगतराम साहू के विरुद्व शासकीय उच्चतर मा०शाला पचपेड़ी जिला धमतरी में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पेश नहीं किया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उसने पेश किया था। किन्तु प्रकरण में वह संलग्न है या नहीं उन्हें उसकी जानकारी नहीं है।

40) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने ओमप्रकाश के स्काउट गाईड की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन की प्रति एवं रसीद प्रस्तुत नहीं किया है। उन्हें इस बात की

जानकारी नहीं है कि आवेदक ओमप्रकाश ने शिक्षाकर्मी भर्ती आवेदन में स्काउट गाईड का प्रमाण पत्र पेश किया है या नहीं। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया में चरणबद्ध प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए कार्य आबंटन संबंधी विवरण पेश नहीं किया है। गवाह से यह पूछने पर कि अभियोग पत्र में संलग्न प्रपत्र को देखकर बताइये कि उनके द्वारा कौन कौन से कार्य आबंटन संबंधी विवरण पेश किये है। साक्षी ने चालान देखकर बताने से इंकार किया।

41) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के साथ संलग्नों में उनकी अंकसूची और अन्य योग्यता संबंधी प्रमाणपत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गयी थी। जिनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेजों को विहित अधिकारियों से अभिप्रमाणित करवाये थे तथा कुछ ने स्वहस्ताक्षर से छायाप्रतियों को अभिप्रमाणित कर अपने अपने आवेदनों में संलग्न किया था। साक्षी ने स्वतः कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदनों में संलग्न दस्तावेज अभिप्रमाणित थे ही नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस प्रकरण के विषय में जैसी जानकारी प्राप्त हुई थी। वैसा का वैसा ही उसने पुलिस को दी थी।

42) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे आवेदन जिनमें उस आवेदन से

संलग्न दस्तावेजों की छायाप्रति का अभिप्रमाणन किये बिना पेश किया जाना वे प्रकरण में संलग्न है या नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि मूल्यांकन समितियों के सदस्यों का कार्य केवल अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र या अन्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति देखकर अंक तालिका बनाने का था। साक्षी ने स्वतः कहा कि भर्ती संहिता अनुसार छानबीन समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों का सम्यक रूप से परीक्षण उपरांत मेरिट सूची तैयार किया जाना।

43) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चयन प्रक्रिया के उस स्तर पर जहां मूल्यांकन समिति द्वारा योग्यता और आर्हता के अनुसार अंक तालिका का बनाया जाना बता रहे है, उस स्तर पर मूल्यांकन समिति का यह कार्य नहीं था की वे उस समय आवेदन के साथ संलग्नों का उसके मूल दस्तावेजों से मिलान कर ही अंक तालिका तैयार करें। वे यह नहीं बता सकते कि कंडिका 42 में जिस भर्ती प्रक्रिया संहिता को उसने बताया है उसकी विवेचक ने अभियोग पत्र में प्रति न्यायालय में पेश किया है या नहीं। साक्षी का यह कहना कि अंतिम चयन सूची जारी होने के पूर्व काउंसलिंग में मूल दस्तावेजों को छानबीन समिति द्वारा उनकी आवेदनों के साथ संलंग्न छायाप्रति से मिलान करने के पश्चात् नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

44) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि वे नहीं बता सकते कि अंतिम चयन सूची जारी होने के पूर्व इस प्रकरण से संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध दावा –आपत्ति आयी थी अथवा नहीं उनका किस तरह निराकरण किया गया, यह समस्त जानकारी इस अभियोग पत्र में संलग्न है कि नहीं आज नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि किसी भी विषय वस्तु के लेख अथवा प्रारूप की छायाप्रति को अभिप्रमाणित करने के लिए सामान्यतः अभिप्रमाणनकर्ता द्वारा मूल को देखकर ही अभिप्रमाणित किया जाता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि किसी मूल के सदृश्य कोई अंक सूची प्रमाणपत्र अथवा अन्य दस्तावेज अवैध साधनों से तैयार किये गये हों या फर्जी है या सही है उसे जानने के लिए उसके मूलरूप के दस्तावेज का समक्ष होना आवश्यक है। तभी तुलना करके इस निष्कर्ष पर हुंचा जा सकता है कि कौन सा दस्तावेज मूलरूप में है और कौन सा फर्जी है।

45) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कोई भी दस्तावेज, अंकसूची, योग्यता प्रमाणपत्र या अन्य प्रमाणपत्र का सही प्रमाणन जारीकर्ता ही बता सकते है कि वे दस्तावेज सही है अथवा फर्जी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न शिक्षाकर्मी के जितने अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। उन नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेशों की शर्त

क्रमांक 11 में यह लिखा है कि नियुक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने शैक्षणिक एवं स्थाई जाति, विकलांगता, एनसीसी, स्काउट गाईड, डीएड, बीटीआई, खेलकुद, अनुभव प्रमाणपत्र एवं रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र की मूल प्रति सहित अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को देगें। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण से संबंधित समस्त नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया के मूल्यांकन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर अंकों का आबंटन करते हुये वरीयता सूची बनाने संबंधी जो कथन कर रहे है।

46) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि इस स्तर पर मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की मूल का अवलोकन करने का कार्य सम्मिलित नहीं था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे उपरोक्त बातें अपनी मन से बता रहे है। साक्षी ने स्वतः कहा कि भर्ती संहिता में लिखा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में सभी अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणीत प्रतियों के अभिप्रमाणनकर्ता के विषय में उन्हें कोई जानकारी या पतासाजी नहीं की।

47) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने सूचना के अधिकार के तहत अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती हेतु भरे गये

आवेदन की प्रति की सत्यापित प्रति प्राप्त नहीं किया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों को थाना मैंनपुर में उपलब्ध नहीं कराया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी विकास पाण्डे, अश्वनी साहू, लखन साहू, डी०के० सोनी एवं सावित्री निषाद का इस प्रकरण में कोई संलग्नता नहीं है। इनके संबंध में कोई दस्तावेज उसने इस प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी चयन समिति का गठन राज्य सरकार या जिला स्तरीय उच्च अधिकारियों के द्वारा की जाती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि किसके आदेश से शिक्षाकर्मी चयन समिति गठित किया गया था। उसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

48) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा उक्त आदेश की कापी भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चयन समिति का काम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पद के लिए आवेदक योग्य है या अयोग्य यह देखना होता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही है या गलत इसकी जांच करने का काम चयन समिति का नहीं होता है। साक्षी ने स्वतः कहा कि होता है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र किसके द्वारा पेश किया गया है। इस संबंध में कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं प्राप्त किया गया है। साक्षी ने यह

स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी द्वारा जो आवेदन पेश किया गया था, सूचना के अधिकार के तहत उसकी कापी उनके द्वारा नहीं निकाली गयी थी।

49) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र जो सूचना के अधिकार के तहत छायाप्रति प्राप्त हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा आरोपीगण की स्काउट की मूल प्रति नहीं देखी गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र असल से या छायाप्रति से छायाप्रति कराकर की गयी है, वे नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र में जो राज्यपाल के हस्ताक्षर है, उसे देखकर वे नहीं बता सकते कि वे किस राज्यपाल का हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड रजिस्टर जो सचिव के पास था, उसकी प्रति उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है और ना हीं न्यायालय में पेश की गई है।

50) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि स्काउट गाईड फोटो प्रमाण पत्र में असल नाम लिखा है या नहीं वे नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड प्रमाण पत्र राजभवन से या संबंधित विभाग अथवा कहीं से भी किसने प्राप्त किया है वे नहीं बता सकते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जनपद पंचायत की समिति और उसकी शासकीय अधिकारी की शिक्षाकर्मी भर्ती प्रस्ताव रजिस्टर की प्रति उनके द्वारा सूचना के

अधिकार के तहत प्राप्त नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त प्रस्ताव रजिस्टर की कापी प्राप्त नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा प्रकरण में संलग्न नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी चयन समिति के बैठक में कौन–कौन अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। उस संबंध में उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

51) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सीईओ द्वारा जो नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है, सभी आदेशों में यह आदेशित किया जाता है कि प्रमाण पत्र झूठे पाये जाएंगे तो नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जनपद पंचायत मैंनपुर में शिक्षाकर्मी भर्ती रद्द करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे सभी दस्तावेज रिपोर्ट करने के बाद कितने दिन बाद पेश किये नहीं बता सकते। साक्षी ने स्वतः कहा कि पांच–छह महिने बाद पेश किया है।

52) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति के संबंध में शपथ पत्र दिया जाता है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे चयन समिति में कौन–कौन थे नहीं बता सकते। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि शिक्षाकर्मी पद हेतु उनके रिश्तेदार द्वारा भी

आवेदन किया गया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसकी नियुक्ति नहीं होने के कारण झूठा शिकायत पेश किये थे।

53) सुदामा ठाकुर अ०सा०–4 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत अभियुक्तगण कुंतराम, तुलसीराम, पिंकू, राजेश को नहीं पहचानते है तथा अनुपस्थित अभियुक्त ओमप्रकाश को नहीं जानते है तथा अनुपस्थित अभियुक्त के एस मार्को, नीरज ठाकुर को जानते है। वे घटना के समय सहायक ग्रेड दो के पद पर जनपद पंचायत कार्यालय मैनपुर में पदस्थ थे। जिस समय वे जनपद पंचायत कार्यालय मैनपुर में पदस्थ थे। उसी समय शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रसारित किये जाने पर उसने अपने पदस्थापना के दौरान शिक्षाकर्मी आवेदकों का आवेदन लेकर उन्हें पावती दिया करता था। जिस कार्य के लिए कार्यालय में उनके अलावा दो तीन और लिपिक को फार्म लेने के लिए आदेशित किया गया था।

54) सुदामा ठाकुर अ०सा०–4 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि फिर आवेदन को लेने के पश्चात वे लोग छानबीन समिति के पास लिये गये संपूर्ण आवेदनों को रख देते थे। तब छानबीन समिति उसमें कार्यवाही करते थे। वे इतना ही जानते है। उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई कथन नहीं दिया था। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी–22 के अ

से अ भाग वे उपरोक्त आवेदकों को देते थे कि बात पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस के समक्ष ऐसा कथन दिया जाना स्वीकार किया। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी भर्ती चयन समिति में एस एस मार्को सीईओ , भूपेश फाये, मीना तिर्की, डी०के० सोनी, जनपद अध्यक्ष उमेश पटेल, उपाध्यक्ष नीरज ठाकुर, जनपंद सदस्य निजाम, अनुप, विकास, राजेन्द्र मांझी लोग थे।

55) सुदामा ठाकुर अ०सा०–4 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जो भी व्यक्ति आवेदन पेश करते थे। उसकी सूची अनुसार दस्तावेज जांच करके उसके आवेदन एवं दस्तावेज को प्राप्त करते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक के आवेदन पत्र एवं उसके द्वारा पेश दस्तावेज की गिनती कर उतने की पावती देते थे। फार्म में ही पावती का कॉलम रहता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसमें ही जितने दस्तावेज पेश किये जाते थे। उतने की ही पावती देते थे। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि ज्यादा दस्तावेज पेश करने पर कम की पावती देते थे। वे नहीं जानते कि बैठक में कितने अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। क्योंकि वे उनकी बैठक में कभी नहीं गये। उसने उपर समिति के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों का नाम बताया है। वे समिति के सदस्य हैं। उनमें से कौन उपस्थित होते थे तथा नहीं होते थे, उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। साक्षी ने

यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी भर्ती किये जाने की जो मिटिंग हुई थी। उसमें कौन उपस्थित थे तथा कौन उपस्थित नहीं थे। उसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

56) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपी राजेश साहू, पिन्कू साहू, तुलसी कुंतराम को नहीं जानते है तथा अनुपस्थित आरोपी ओमप्रकाश, के०एस० मार्को को भी नहीं जानते है। वे घटना दिनांक को रायपुर स्थित भारत स्काउट गाईड में राज्य प्रशिक्षण आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। उन्हें पुलिस वाले उक्त प्रशिक्षण संस्थान से जारी स्काउट गाईउ प्रशिक्षण से संबंधित प्रकरण में लगे प्रमाण पत्र को लेकर उक्त प्रशिक्षण संस्थान में रजिस्टर में मिलान करवाये थे। उन्हें कितने लोगों का प्रशिक्षण संस्थान से रजिस्टर से मिलान कराये थे। आज उन्हें याद नहीं है।

57) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि आरोपीगण के जिस सर्टिफिकेट एवं सर्टिफिकेट में अंकित क्रमांक को पुलिस द्वारा स्काउट गाईड संस्थान रजिस्टर में मिलान करने पर आरोपीगण का उस संस्थान से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं हुई थी और आरोपीगण द्वारा जिस क्रमांक का सर्टिफिकेट को पेश किया गया था। उस नंबर पर अन्य व्यक्तियों के नाम थे एवं जिनके प्रमाण पत्र दिखाये गये थे। उनके नाम रजिस्टर में अंकित नहीं थे। उक्त किसी अन्य लोगों के द्वारा पेश किया गया सर्टिफिकेट जांच करने पर गलत पाया

गया था। पुलिस वाले स्काउट गाईड संस्थान से एक रजिस्टर जिसमें उक्त संस्थान से जारी प्रमाण पत्र लिखा हुआ था, को जप्त किये थे। जो जप्ती पत्रक पपी –23 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। उनके समक्ष पुलिस वाले उक्त संस्थान में पंजीबद्ध स्काउट गाइड रजिस्ट्रर जिसमें उक्त स्थान में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के नाम अंकित है उसकी सर्टिफाईड फोटो प्रकरण में संलग्न है। जिसे उनके एवं अन्य गवाहों के समझ पुलिस वाले जप्त किये थे। जो आर्टिकल ए (1), ए (2), ए (3),ए (4) एवं ए (5) है। उसने पुलिस को बयान दिया था।

58) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबन्द के पत्र क्रमांक रीडर –445/12 दिनांक 17.05.12 के सन्दर्भ में भारत स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में जांच हेतु राज्य मुख्यालय में परीक्षण हेतु लाया गया था। उनके बयान में दर्ज आरोपीगण का नाम एवं क्रमांक स्काउट गाईड रजिस्टर में अंकित नही था। जिसका नाम उन्हें आज याद नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि आरोगण लोकेश्वर प्रसाद तारक, पिंकू राजेश कुमार, ओमप्रकाश का नाम उक्त रजिस्ट्रर में नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि स्काउट गाईड रजिस्टर सन् 2003, 2004 एवं 2005 का था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी–24 पढ़ कर सुनाये जाने पर ऐसा बयान दिया जाना स्वीकार किया था।

59) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे स्काउट गाईड संस्था का सचिव नहीं थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि वे प्रशिक्षण आयुक्त थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका कार्य लोगों को प्रशिक्षण देना एवं दिलवाना था। रजिस्टर से उनका कोई लेना देना नहीं था। उक्त रजिस्टर राज्य संगठन आयुक्त के कब्जे में रहता था। उन दोनों का काम अलग अलग था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त रजिस्टर को वे देखते नहीं थे। इसलिए उसमें किसका किसका नाम था। वे नहीं जानते है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आयुक्त के कब्जे को रजिस्टर को उन्हें किसी को दिखाने का अधिकार नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उन्हें बाबू ने रजिस्टर को पुलिस को दिखाने के लिए कहा था।

60) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वे नहीं बता सकते कि उक्त बाबू ने स्वयं दिखाने के बदले उन्हें दिखाने के लिए क्यों बोला। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वालों के द्वारा प्रमाण पत्र जो लाया गया था वह प्रमाण पत्र की फोटो प्रति थी। असल नहीं थी। पुलिस वाले जो आवेदन लेकर आये थे। वह उनके नाम से संबोधित नहीं था। बल्कि सचिव के नाम से संबोधित था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें यह अधिकार नहीं था कि सचिव के बिना इजाजत के उक्त रजिस्टर को पुलिस वाले को वे दिखाये। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उक्त दिनांक को पुलिस द्वारा जो आवेदन और प्रमाण पत्र

दिखाया गया था। उसमें अलग अलग नंबर थे। आज वे यह नहीं बता सकते कि कौन कौन से प्रमाण पत्र पुलिस वाले लेकर आये थे और किनके किनके नाम का प्रमाण पत्र था। यह भी वे आज नहीं बता सकते है।

61) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि असल प्रमाण पत्र दिखाया जाता तो नंबर की सही जानकारी प्राप्त हो सकती थी। फोटो कापी से जानकारी नहीं हो सकती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि फोटोकापी में दूसरा नाम और दूसरा नंबर फोटोकापी करते समय किया जा सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे फोटोकापी में नाम और नंबर देखकर यह बता दिये थे कि इस में यह नाम नहीं है। असल प्रमाण पत्र पुलिस के पास नहीं थे। इसलिए उन्होने असल प्रमाण पत्र उन्हें नहीं दिखाया था। फोटोकापी दिखाया था, फोटोकापी के अनुसार जांच कर बयान दिया गया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उपस्थित आरोपीगण भी फर्जी प्रमाण पत्र पेश किये थे। वे उपस्थित आरोपीगण में से किसी का नाम नहीं जानते है। इसलिए वे नहीं बता सकते है कि पुलिस वालों ने किनका प्रमाण उन्हें दिखाया था।

62) महावीर प्रसाद साहू अ०सा०–5 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त रजिस्टर उनके कब्जे का नहीं है। उनसे पुलिस वाले ने रजिस्टर जप्त नहीं किये थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि रजिस्टर के पन्नों का फोटोकापी कराकर

उसे जप्त किये थे। आर्टिकल ए (1), ए (2), ए (3), ए (4) एवं ए (5) में उनके हस्ताक्षर नहीं है। उसे प्रोफेसर पांडे राज्य सचिव के द्वारा प्रमाणित किया गया है। रजिस्टर के क्रमांक 154 में शिशिर श्रीवास्तव का नाम दर्ज है तथा क्रमांक 134 में पीताम्बर प्रसाद, क्रमांक 72 में अनुप देव बड़ा के नाम पर है। उसके बदले किसके नाम का प्रमाण पत्र पुलिस वालों ने उन्हें दिखाया था। उन्हें आज याद नहीं है। पुलिस द्वारा फोटोकापी कराने के बाद राज्य सचिव से प्रमाणित कराया गया था। इन्ही दस्तावेजों में पुलिस वालों ने उनके हस्ताक्षर नहीं करवाया था। उसने अपने बयान में आरोपीगण का नाम नहीं बताया था।

63) जगत राम साहू अ०सा०–6 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत अभियुक्त कुंवर सिंह मार्को को नहीं जानते है एवं अनुपस्थित अभियुक्त ओमप्रकाश को जानते है। वे उनका लड़का है। वे शेष अनुपस्थित अभियुक्तगण को जानते है। उनका लड़का ओमप्रकाश कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। कन्हैया लाल साहू उनके पहचान के व्यक्ति है। उनका लड़का ओमप्रकाश साहू शिक्षाकर्मी वर्ग–03 में नौकरी कर रहे थे। उनके लड़के का तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिए है। उनका लड़का का नौकरी से संबंधित कागजात जमा करने पर उसकी नौकरी लगी थी। उनका लड़का

को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 में ग्राम इन्दागांव में नौकरी मिली थी। इसके अलावा उनका लड़का और क्या प्रमाण पत्र लगाया था। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

64) जगत राम साहू अ०सा०–6 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि पुलिस वाले उनसे घटना के संबंध में कुछ पूछताछ नहीं किए थे और ना ही उसने पुलिस वाले को बयान दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब पुलिस ने पूछताछ की थी। तब उसने, अपने लड़के को कृषि विश्वविद्यालय में इजीनयरिंग की पढ़ाई कर रहा है बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे अपने रिस्तेदार कन्हैया साहू को शिक्षाकर्मी में उनके लड़के को लगाने की बात नहीं बोला था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि कन्हैया साहू ने शिक्षाकर्मी के काउन्सलिंग जाने के लिए, उसने, उनके लड़का को बोला था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कन्हैया साहू ने उनके लड़के को काउन्सिलिंग में जाने की सूचना दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कन्हैया साहू की उक्त सूचना पर उनके लड़के ओमप्रकाश जनपद पंचायत पहुंचकर आदेश प्राप्त किया था और उसने नियुक्ति आदेश प्राप्त किया था।

65) जगत राम साहू अ०सा०–6 ने इस बात से इन्कार किया है कि उनका लड़का के द्वारा स्काउड गाईड प्रमाण पत्र शिक्षाकर्मी की नौकरी में लगाने हेतु दिया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे आज नहीं बता सकते कि उनके

लड़के ने शिक्षाकर्मी में नौकरी लगने के लिए कौन कौन से दस्तावेज पेश किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके रिश्तेदार कन्हैया साहू उनके लड़के को नौकरी लगाने में कोई सहयोग नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले उनसे कोई बयान नहीं लिए थे।

66) टंकेश्वर साहू अ०सा०–07 ने अपने न्यायायलीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत अभियुक्त कुवर सिंह मार्को को नहीं जानते है। अनुपस्थित अभियुक्त ओमप्रकाश को नहीं जानते है। वे अभियुक्त पिन्टू साहू को जानते है। वह उनका भाई है। वे शेष अनुपस्थित अभियुक्तगण को जानते है। घटना वर्ष 2006 के शिक्षाकर्मी भर्ती के समय की है। उनका भाई शिक्षाकर्मी में फार्म भरा था, तब उसका शिक्षाकर्मी में नौकरी लगा था। इसके अलावा उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें घटना के संबंध में पुलिस वाले कुछ पूछताछ नहीं किए थे। उसने पुलिस को अपना बयान भी नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका भाई पिन्टू साहू ने वर्ष 2006 में शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हेतु फार्म भरा था। साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिये गये शेष सुझावों से इन्कार किया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण शून्य रहा।

67) पाहरु राम सिन्हा अ०सा०–8 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत अभियुक्त एवं अनुपस्थित अभियुक्तगण को नहीं जानते है। उनका

लड़का तुलसीराम का शिक्षाकर्मी वर्ग–03 में वर्ष 2007 में नियुक्ति हुआ था। तब उनके लड़के ने मैनपुर जनपद पंचायत के लिए आवेदन भरा था। तब उनके लड़के की नियुक्ति ग्राम धुरवागुड़ी में शिक्षाकर्मी की नौकरी लगा था। वे जनपद उपाध्यक्ष निरज ठाकुर को नहीं जानते है। उनके लड़के से किसी ने कुछ पैसे की मांग नहीं किया था। उन्हें घटना के संबंध में पुलिस वाले कुछ पूछताछ नहीं किए थे। उसने पुलिस को अपना बयान भी नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दिये गये सभी सुझावों से इन्कार किया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण शून्य रहा।

68) खेमराज साहू अ०सा०–09 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानते है। लगभग साल भर पहले की घटना है। उनके सामने चंद्रकुमार नागेश के कब्जे से पुलिस वाले शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित दस्तावेज जप्त किये थे, जो जप्ती पत्रक प्रपी०–01 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है तथा चंद्रकुमार नागेश के कब्जे से शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित अभिलेख जप्त किया गया था, जो जप्ती पत्रक प्रपी०–27 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज क्या क्या थे और किस किस से संबंधित थे उसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

69) जागेश्वर पटेल अ०सा०–10 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानते है। लगभग साल भर पहले की घटना है।

उनके सामने चंद्रकुमार नागेश के कब्जे से पुलिस वाले शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित दस्तावेज जप्त किये थे, जो जप्ती पत्रक प्रपी०–01 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है तथा चंद्रकुमार नागेश के कब्जे से शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित अभिलेख जप्त किया गया था, जो जप्ती पत्रक प्रपी०–27 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज क्या क्या थे और किस किस से संबंधित थे। उसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

70) खेलन राम वर्मा अ०सा०–11 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे वे हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानते है। लगभग 10, 11 माह पूर्व की घटना है। उनके सामने कृष्ण कुमार के कब्जे से दस्तावेज मैनपुर थाना में जप्त किया गया था। जो जप्ती पत्रक प्रपी–06 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है तथा कृष्ण कुमार से ही जप्ती पत्रक प्रपी–07 के माध्यम से पुलिस वाले दस्तावेज जप्त किये थे। जिस पर उनके हस्ताक्षर है एवं कृष्ण कुमार से ही दस्तावेज प्रपी–08 के माध्यम से पुलिस वाले दस्तावेज जप्त किये थे। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले उनके सामने कृष्ण कुमार के कब्जे से प्रपी–09, 10 एवं 11 के माध्यम से शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित दस्तावेज जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी–09, 10, 11 भी तैयार किये थे, जिस पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त

दस्तावेज क्या क्या थे और किस किस से संबंधित थे उसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

71) बालक दास अ०सा०–12 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे हाजिर अदालत आरोपीगण को नहीं जानते है। उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वे महावीर प्रसाद को जानते है। पुलिस वाले महावीर प्रसाद के सामने कुछ लिखापढ़ी कर रहे थे और उसी समय उन्हें बताया गया कि दो साक्षी जरूरत पड़गें। तब उनका नाम पता लिखे थे और उसने हस्ताक्षर करा लिये थे। उनके सामने महावीर प्रसाद से कोई दस्तावेज जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने जप्ती पत्रक प्रपी–23 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने दिये गये सभी सुझावे से इन्कार किया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण शून्य रहा।

72) रवि बांधे अ०सा० –13 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे महावीर साहू को पहचानते है। महावीर साहू स्काउट गाईड रायपुर में अधिकारी थे। जहां वे झाड़ु पोछा का काम करते थे। उन्हें प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले उनके समक्ष कोई जप्ती कार्यवाही नहीं किये थे। जप्ती पत्रक प्रपी–2 पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त हस्ताक्षर उसने कब और कहां किये थे। आज उन्हें याद नहीं है। साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिये गये सभी सुझावे से इन्कार किया। साक्षी का प्रतिपरीक्षण शून्य रहा।

73) रामचन्द बोहरपी अ०सा०–14 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे वर्ष 2012 में भारत स्काउट एण्ड गाईड मप्र राज्य मुख्यालय शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल में सहायक ग्रेड 02 के पोस्ट पर पदस्थ होकर कार्यरत थे। उनकी पदस्थपना के दौरान पुलिस द्वारा भारत सिंह यादव पुरूष्कार संबंधी शाखा देख रहे थे। पुलिस वाले भरत सिंह यादव से पुरूष्कार से संबंधित रजिस्टर राज्य पुरूष्कार स्काउट गाईड जो राज्यपाल द्वारा प्रदत्त किया जाता है, से संबंधित 01 रजिस्टर उनसे समक्ष जप्त किये थे। उक्त रजिस्टर में प्रत्येक वर्ष जिन्हे पुरूष्कार प्राप्त होता है। उनका नाम इन्द्राज किया जाता है। जप्ती पत्रक प्रपी–28 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

74) रामचन्द बोहरपी अ०सा०–14 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस वाले उनके समक्ष दिनांक 30.07.2012 को भारत स्काउट गाईड के कार्यालय मप्र में भारत सिंह यादव से एक राज्यपाल पुरूष्कार पंजी एक रजिस्टर वर्ष 1991 से 1994 लिखा हुआ एवं दूसरे रजिस्टर में वर्ष 1999 से अब तक लिखा हुआ को जप्त किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आज उन्हें याद नहीं है कि उक्त रजिस्टर में अशुमान और तहजीबुल हसन लिखा हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1991 से वर्ष 1994 तक तथा वर्ष 1999 से वर्ष 2012 (प्रपी–28 दिनांक 30.07.2012) तक किस

किस व्यक्ति को राज्यपाल पुरूष्कार संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। वे उन व्यक्तियों का नाम नहीं बता सकते।

75) रामचन्द बोहरपी अ०सा०–14 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे तत्कालिन समय में भारत सिंह यादव के साथ संबंधित कार्यालय में साथ में कार्यरत थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे भी संबंधित कार्यालय में भारत सिंह यादव के साथ कार्यरत होने के कारण प्रपी–28 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संबंधित रजिस्टर कुल कितने पृष्ठ के थे और किन पृष्ठों पर पुरूष्कार से संबंधित विवरण इन्द्राज था। बिना रजिस्टर देखे वे नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अंशुमान बाडोलेन और तहजीबुल हसन कहां के रहने वाले है उन्हें उसकी जानकारी नहीं है।

76) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे अभियुक्तगणों को नहीं पहचानते है। वे प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू को भी नहीं पहचानते है। वे वर्ष 2012 में भारत स्काउट गाईड राज्य मुख्यालय भोपाल में सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदस्थ थे। वे घटना का दिनांक, वर्ष व समय भी नहीं जानते है। मैनपुर थाना से दो पुलिस वाले राज्य पुरूष्कार प्रमाण पत्र की छायाप्रति लेकर आये थे एवं उक्त राज्य पुरूष्कार प्रमाण पत्र की छायाप्रति को राज्य पुरूष्कार प्रमाण पत्र जारी किया जाने वाला नामजद रजिस्टर से मिलान किया गया। जिनमें

उन दो व्यक्तियों का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं था। पुलिस ने उसने राज्य पुरूष्कार पंजी वर्ष 1991, 1992, 1993, 1994 तथा वर्ष 1999 से निरंतर को जप्त किये थे। जप्ती के पश्चात पुरूष्कार पंजी वर्ष 1991, 1992, 1993, 1994 का पेज क्रमांक 03 के 76 नंबर पर अंशुमन तथा वर्ष 1999 से अब तक लिखा हुआ पंजी से क्रमांक 62 पर तहजीबुल हसन लिखा हुआ की सत्यापित छायाप्रति जप्त कर मूल दोनों रजिस्टर उन्हें सुपुर्दनामें पर वापस कर दी गई थी। जप्ती पत्रक प्रपी –28 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है।

77) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि प्रपी–28 में जप्तशुदा एक राज्यपाल पुरूष्कार पंजी रजिस्टर मध्यप्रदेश लिखा वर्ष 1991 से 94 लिखा हुआ। जिसके पेज क्रमांक 3 के 76 नंबर अंशुमन बाडोने का इंदौर का जारी प्रमाण पत्र रजिस्टर की मूल प्रति के अ से अ भाग प्रपी –29 एवं प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्रपी –29 सी चिन्हांकित किया गया। एक राज्यपाल पुरूष्कार पंजी रजिस्टर मध्यप्रदेश लिखा वर्ष 1999 से अबतक लिखा हुआ। जिसमें सरल क्रमांक 62 पर तहजीबुल हसन पिता एच हसन जिसका नाम 1999 के सरल क्रमांक 222 और पृष्ठ क्रमांक 8 पर अंकित है। जिसके अ से अ भाग पर से चिन्हांकित किया गया है, को पुलिस वाले जप्त कर उन्हें सुपुर्दनामे पर दिये थे।

78) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद द्वारा पत्र क्रमांक पु.आ./गरि./रिडर/455/12, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार जानकारी देने संबंधी प्रतिवेदन प्रपी–31 प्राप्त होने पर उपरोक्त पत्र की जानकारी प्रपी –32 के अनुसार पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को प्रेषित की गई थी। उक्त नमूने के साथ आर्टिकल ए–1 जो राज्यपाल प्रमाण पत्र का नमूना है। जिसे भारत स्काउट एवं गाईड द्वारा जारी किया जाता है। संलग्न कर प्रेषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–28 के रजिस्टर में रजिस्टर को सत्यापित किया गया है। यह बात दर्ज नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त प्रपी–28 में पेज नंबर भी नहीं डाला गया है।

79) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि सूची को टाईप करके कोरे पन्ने के उपर चिपकाया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर के किसी पन्ने में किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर में अंत तक किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व में हाथ से रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जो व्यक्ति दर्ज करते थे। उसके हस्ताक्षर होते थे। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अधिकारी के प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर होते थे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है

कि इस रजिस्टर में पुराने रजिस्टर को देखकर सूची बनाकर चिपकाई गई है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रपी–28 को किस रजिस्टर से देखकर टाईप कर सूची बनाई गई है।

80) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने जो पुलिस वाले को सत्यापित कापी दी थी। उन्हें वह नहीं दिखाई गई है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने 076/91 की कोई भी सत्यापित प्रति पुलिस को नहीं दी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–28 में 62/99 की सत्यापित प्रति उसने पुलिस को दिया था। किंतु 062/99 की प्रति उसने नहीं दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि 076/91 एवं 062/99 के प्रमाण पत्र की प्रति उसने नहीं दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि राज्य पुरुस्कार स्काउट गाईड अर्वाड वर्ष 1999 के रजिस्टर किस दिनांक से शुरु हुआ है वह नहीं लिखा है।

81) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उनके विभाग द्वारा अलग अलग शहरों में शिविर लगाये जाता थे एवं उसमें राज पुरूष्कार रैली होती था। जिसमें स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र बांटे जाते थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त सूची की जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जो शिविर होता था। उसमें शून्य लगाकर नंबर दिया जाता था।

साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जिस पेज में 62/99 लिखा है। उसमें भी किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रजिस्टर के प्रत्येक पेज में आगे पीछे क्रमांक 62/99 दर्ज किया गया है। उसमें प्रत्येक पेज में अलग अलग नंबर है। साक्षी ने स्वतः कह है कि 62/99 प्रत्येक पेज में दर्ज नहीं है। वे यह देखकर नहीं बता सकते कि 62/99 के पहले उससे बडे नंबर दर्ज है और बाद में भी छोटे नंबर दर्ज है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जो प्रमाण पत्र पुलिस वाले लेकर आये थे। वे फोटो कॉपी थी। असल प्रति उसने नहीं दी थी।

82) जय प्रकाश मिश्रा अ०सा०–16 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे वर्ष 2012 थाना मैनपुर में आरक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी पदस्थापना के दौरान थाना मैनपुर में सउनि वी एल साहू पदस्थ थे। जिनके साथ वे वर्ष 2012 में दिनांक आज उन्हें याद नहीं, भारत स्काउड गाईंड कार्यालय भोपाल गया था। जहां सउनि वी एल साहू के द्वारा स्काउड गाईड कार्यालय भोपाल में दो राज्यपाल पुरूष्कार पंजी रजिस्टर, भारत यादव से जप्त कर उसे सुपुर्दनामा में लिये थे। जप्ती पत्रक प्रपी 28 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है।

83) जय प्रकाश मिश्रा अ०सा०–16 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वे लोग भोपाल गये थे। उक्त संबंध में रोजनामचा इन्द्राज है। उक्त रोजनामचा प्रकरण में संलग्न है या नहीं वे नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि

जिस रिकार्ड को जप्त किया गया था। उसमे क्या लिखा था। वे नहीं बता सकते। जो भी रजिस्टर जप्त किया गया था। उसमे लोगों के अलग अलग नाम लिखकर क्रमवार नाम दर्ज किया गया था। वे यह नहीं बता सकते की जिस रजिस्टर को जप्त किया गया था। उसमें पेन की लिखावट थी अथवा उस रजिस्टर में टाईप कर अलग से लिस्ट बनायी गई थी। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि जब वी एल साहू मैनपुर थाना आये तब उसने हस्ताक्षर करवाये। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–28 में जप्त किये गये मूल रजिस्टर को सुपुर्दनामा में वापस किये जाने की पावती प्रपी–28 के साथ प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है।

84) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे वर्ष 2012 थाना मैनपुर में उपनिरीक्षक/थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी पदस्थापना के दौरान दिनांक 12.01.2012 को कृष्ण कुमार साहू के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिक्षाकर्मी वर्ग–3 भर्ती वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मैनपुर में महामहीम राज्यपाल के फर्जी हस्ताक्षर युक्त स्काउड एवं गाईड प्रमाण पत्र एवं कूटरचित हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र में जानबूझकर चयन समिति द्वारा का उपयोग कर अपने चहते उम्मीदवारों को नियोजन में लाभ दिलाने के उद्देश्य से शिक्षाकर्मी वर्ग तीन में नियुक्ति प्रदान किये जाने पर चयन समिति एवं अभ्यर्थीयों के विरूद्व कूटरचना एवं धोखाधडी का अपराध दर्ज किये जाने हेतु प्रपी–21 के अनुसार

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 08/2012 थाना मैनपुर प्रपी–04 के अनुसार पंजीबद्ध किया गया। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है।

85) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रपी–05 के अनुसार तैयार किया गया। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। जप्ती पत्रक प्रपी–06 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू से कार्यालय डाईट पेण्ड्रा का पत्र क्रमांक 147 दिनांक 16.06.2011, माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर का डीएड परीक्षा 2003 सेकेण्ड ईयर परीक्षार्थी कमलेश कुमार की छायाप्रति अंकसूची, कृष्ण कुमार साहू द्वारा आर टी आई के तहत डाईट पेण्ड्रा में कमलेश माखिजा के डीएड द्वीतीय वर्ष प्रमाण पत्र की पुष्टी हेतु दिनांक 09.06.2011 को डाक टिकीट लगा कार्बन प्रति 1 पन्ना, मा०शि०मं० रायपुर द्वारा जारी नंदकिशोर देवांगन का हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट की छायाप्रति, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक शाला धमतरी का पत्र क्रमांक 103 दिनांक 05.05.2011 की प्रति जप्त किया गया था।

86) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 04.02.2012 को जप्ती पत्रक प्रपी–7 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पेश करने पर दिनांक 26.04.2011 को जन सूचना अधिकारी हायर

सेकेण्ड्री स्कूल कुरूद को हायर सेकेण्डरी एवं स्काउड गाईड प्रमाण पत्र हेतु लेख पत्र, सावित्री निषाद का कबड्डी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, महामहिम शेखर दत्त द्वारा हस्ताक्षरित कि छायाप्रति, कृष्ण कुमार साहू द्वारा जन सूचना अधिकारी उच्चत्तर माध्यिमक शाला फिंगेश्वर का वर्ष 2004 का हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र व वर्ष 2002 में खेल प्रमाण पत्र की पुष्टी हेतु प्रेषित पत्र 1 पन्ना, प्राचार्य रानी श्यामकुमारी कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय फिंगेश्वर का पत्र क्रमांक 301 दिनांक 29.04.2011, प्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा राजभवन को स्काउड गाईड एवं खेल प्रमाण पत्र के पुष्टी के संबंध में प्रेषित आर टी आई पत्र दिनांक 25.04.2011, राज्यपाल के अवर सचिव का लेटर पेड पर लिखा पत्र क्रमांक 2870/आर/53/2अ/रा भ/2011 दिनांक 01.06.2011 की प्रति साक्षियों के समक्ष जप्त की गई थी।

87) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 04.02.2012 को जप्ती पत्रक प्रपी 08 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पेश करने पर शा०उ०मा०वि नवापारा राजिम के पत्र क्रमांक 275 दिनांक 30.04.2011, पिंकूराम का स्काउड गाईड क्रमांक 72/03 दिनांक 23.01.2004 एक पन्ना, प्राचार्य शा०उ०मा० वि भेण्ड्री का पत्र क्रमांक 19 दिनांक 04.05.2011, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू द्वारा जन सूचना अधिकारी शा०उ०मा०वि मगरलोड को

दिनांक 26.04.2011 को प्रदर्श स्काउड गाईड प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी हेतु पत्र की प्रति, लोकेश्वर प्रसाद तारक के भारत स्काउड गाईड के प्रमाण पत्र की छायाप्रति क्रमांक 5/134/2003 दिनांक 09.10.2003 एक प्रति, प्राचार्य उ०मा०वि० कुरूद्ध का पत्र क्रमांक 542 दिनांक 30.04.2011/ 02.05.2011 जिसमें लोकेश्वर प्रसाद का 2003 का स्काउड गाईड संबंधी लेख है जप्त किया था।

88) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 04.02.2012 को जप्ती पत्रक प्रपी 09 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पेश करने पर शा०उ०मा०वि पचपेडी के पत्र क्रमांक 02 दिनांक 20.06.2011, कृष्ण कुमार साहू का जनसूचना अधिकारी शा०उ०मा०वि० पचपेडी को दिनांक 30.05.2011 को लिखा गया। ओमप्रकाश के हायर सकेण्ड्री व स्काउड में भाग लेने का प्रमाण पत्र संबंधी जानकारी हेतु 10 रूपये का पोस्टल आर्डर लगा एक नॉलेजमेंट लगा हुआ पत्र 1 पन्ना, प्रार्थी कृष्णकुमार साहू द्वारा 26.04.2011 को जनसूचना अधिकारी शा०उ०मा०वि० बागतराई को ओमप्रकाश का वर्ष 2002 का हायर सेकेण्ड्री परीक्षा परिणाम एवं स्काउड गाईड में भाग लेने व प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी देने हेतु लेखपत्र एक पन्ना, प्रार्थी कृष्णकुमार साहू द्वारा 26.04.2011 को जनसूचना अधिकारी शा०उ०मा०वि नवापारा राजिम को राजेश कुमाार साहू का हायर सेकेण्ड्री परीक्षा परिणाम एवं स्काउड गाईड में भाग लेने

व प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी देने हेतु लेखपत्र एक पन्ना, भारत स्काउड गाईड छ०ग० का प्रमाण पत्र छायाप्रति जिस पर राजेश कुमार आत्मज टिकाराम क्रमांक 5/154/04 दिनांक 22.01.2005 लेख है जप्त किया गया था।

89) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 04.02.2012 को जप्ती पत्रक प्रपी 10 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पेश करने पर एक पोस्टल ऑर्डर 10/– रूपये का शा०उ०मा० धमतरी को प्रेषित पंजीकृत डाक जिसमें नंदकिशोर देवांगन के हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम के संबंध में लेख है और दिनांक 26.04.2011 लेख है, एक पन्ना जिस पर 2005 नंदकिशोर देवांगन लेख है। अंग्रेजी में कुल डिटेल मिसमेंच लेख है, एक मार्च 2002 का ओमप्रकाश का हायर सेकेण्ड्री प्रमाण पत्र, एक भारत स्काउड गाईड छ०ग० का छायाप्रति जिस पर ओमप्रकाश साहू क्रमांक –59/03/2005 दिनांक 12.02.2005 लेख है, कार्यालय प्राचार्य शा०उ०मा०वि बागतराई का पत्र दिनांक 23.05.2011 लेख है जप्त किया गया था।

90) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 04.02.2012 को जप्ती पत्रक प्रपी–11 के अनुसार, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पेश करने पर भारत स्काउड गाईड का पत्र क्रमांक 201 दिनांक 12.07.2011 दो पन्ना, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू द्वारा 10/– रूपये का पोस्टल

आर्डर लगा पत्र की कार्बन प्रति जन सूचना अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को शिक्षाकर्मी वर्ग 03 वर्ष 2007 भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कुल 6 पन्ना, प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू द्वारा शा०उ०मा०वि धमतरी को दिनांक 09.04.2009 का डीएड परीक्षा केन्द्र 2007 एवं ममता सिन्हा के डीएड प्रमाण पत्र के संबंध में प्रेषित पत्र के कार्बन प्रति एक पन्ना, कार्यालय प्राचार्य शा०उ०मा०कन्या शाला धमतरी का पत्र क्रमांक 168 दिनांक 13.04.2009 जप्त किया गया था।

91) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 25.04.2012 को 14.15 बजे जनपद पंचायत मैनपुर में साक्षी चन्द्र कुमार नागेश से साक्षियों के समक्ष प्रपी –01 के अनुसार क्रमशः– कुंतराम साहू का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, एवं निवास, जाति रोजगार पंजीयन, हायर सकेन्डरी उत्तीर्ण, बी०टी०आई० उत्तीर्ण, अनुभव प्रमाणपत्र, स्काउट प्रमाण पत्र की छायाप्रति, तुलसीराम का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, एवं मनसेवी शिक्षक नियुक्ति पत्र, निवास, जाति, बी०एस०सी० उत्तीर्ण, रोजगार पंजीयन, आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी पावती, हायर सकेन्डरी उत्तीर्ण, भारत स्काउट, मनसेवी शिक्षक नियुक्ति संबंधी पत्र, अनुभव प्रमाणपत्र की छायाप्रति, सावित्री निषाद का शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति,

एवं हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, रोजगार, निवास, जाति, कबड्डी खेल, अनुभव प्रमाणपत्र की छायाप्रति जप्त किया था।

92) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि लोकेश्वर प्रसाद का शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, खेलकुद, निवास, रोजगार, जाति, राज्य स्तरीय क्रिडा, भारत स्काउट गाईड, अनुभव प्रमाणपत्र, दावा आपत्ति, पूमाषा चन्दन बिरही लिखा आदेश, जनभागीदारी समिति संबंधी आदेश/प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, पीन्कूराम साहू का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, हाई स्कूल, निवास, जाति रोजगार, हायर सेकेन्डरी स्कूल, भारत स्काउट गाईड के दो प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, राजेश कुमार साहू का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति एवं ऑल इण्डिया सेकेन्डरी स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, जाति, निवास, रोजगार, दावा आपत्ति, राज्य स्तरीय क्रिडा, भारत स्काउट गाईड, जनपद पंचायत मैनपुर लिखा पावती प्रमाण पत्रो की छायाप्रति जप्त किया था।

93) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि ओमप्रकाश साहू का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, हाई स्कूल, जाति, निवास, रोजगार, हायर सेकेण्डरी, भारत

स्काउट गाईड प्रमाण पत्रो की छायाप्रति, संजय कुमार वर्मा का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति, हायर सेकेन्डरी स्कूल, हाई स्कूल, निवास, जाति, रोजगार, जनभागीदारी अनुभव, जनभागीदारी नियुक्ति, प्रमाणपत्रों की छायाप्रति तथा जनपद पंचायत मैनपुर को खेल प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया लेख आवेदन, अंतिम वेतन प्रमाणपत्र जोड़े जाने संबंधी आवेदन, लखनलाल साहू का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति, एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल, हाई स्कूल, जाति, निवास, रोजगार, राज्य स्तरीय खेल प्रमाणपत्रों की छायाप्रति तथा रोजगार, निवास, जाति, कबड्डी खेल, अनुभव प्रमाणपत्र की छायाप्रति तथा जनपद पंचायत मैनपुर को खेल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया लेख आवेदन पत्र जप्त किया था।

94) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि अश्वनी कुमार का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति, एवं हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, राज्य स्तरीय खेल, रोजगार, निवास, जाति प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं जनपद पंचायत मैनपुर को खेल प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया लेख आवेदन पत्र, नंद कुमार देशलहरे का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति एवं हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल, जाति, निवास, रोजगार प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, कु0 खिलेश्वरी साहू

का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति, एवं रोजगार, हाई स्कूल, निवास, जाति, इंदिरा सूचना शक्ति, हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्रो की छायाप्रति जप्त किया था।

95) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि नंदकुमार देवागंन का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदनपत्र मूल प्रति, एवं हायर सेकेण्डरी, जाति, हाई स्कूल, निवास, रोजगार प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, कमलेश कुमार का शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के लिये जनपद पंचायत मैनपुर में जमा आवेदन पत्र मूल प्रति एवं हाई स्कूल सटि० प्रमाण पत्र, जाति, रोजगार, निवास, स्थाई जाति, हायर सकेण्डरी, डी०एड०, अनुभव प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, जनपद पंचायत मैनपुर का मूल्यांकन एवं चयन समिति के सदस्यों की सूची अंकित रजिस्टर, शिक्षा कर्मी वर्ग–3 की भर्ती वर्ष 2006–07 योग्यता संबंधी अंक तालिका की सूची कुल 9 पन्ना, शिक्षा कर्मियों के जारी किये गये नियुक्ति आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर जिला रायपुर छ०ग० का आदेश 24 पन्ना जिसमें कमलेश माखिजा, खिलेश्वरी साहू, नंद कुमार देशलहरे, लोकश्वर प्रसाद तारक, संजय कुमार वर्मा, सावित्री निषाद, पिंकूराम साहू, ओमप्रकाश साहू, तुलसीराम सिन्हा, कुंतराम साहू, नंदकिशोर देवांगन, अश्वनी कुमार का नाम अंकित है, जप्त किया था।

96) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि शिक्षा कर्मी भर्ती हेतु आवेदनपत्र प्राप्त करने हेतु नामजन कर्मचारी नियुक्ति करने बाबत् आदेश मु०का०अधि० का छायाप्रति 1 पन्ना, शिक्षाकर्मी भर्ती के संबंध में मूल्यांकन समिति एवं चयन समिति द्वारा किये गये बैठक व कार्यवाही रजिस्टर तथा स्थायी समिति कार्यवाही पंजी चयन समिति अनुशंसा रिकार्ड क्रमांक 15, शिक्षा कर्मी भर्ती 2007 के संबंध में जांच प्रतिवेदन कुल 17 पन्ना, जप्त किया था।

97) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि दिनांक 21.05.2012 को साक्षी चंद्रकुमार नागेश से प्रपी–27 के अनुसार साक्षियों के समक्ष शिक्षाकर्मी वर्ग –3 की भर्ती वर्ष 2006–07 का योग्यता संबंधी अंकतालिका की सूची एक पन्ना जिसमें क्रमांक 28 पर पींकू राम साहू/सखा राम साहू का 55 लिखा हुआ जप्त किया गया है। साक्षी ने बताया कि प्रपी 1, प्रपी 06, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 27 पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। उपरोक्त प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 27 में उल्लेखित दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह भी बताया कि प्रकरण में प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू को जारी नोटिस प्रपी 41 पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को जारी नोटिस प्रपी 42 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है।

98) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि साक्षियों के कथन लिये जाने के संबंध में तहरीर प्रपी 43, सुदामा ठाकुर को जारी नोटिस प्रपी 44 एवं राजेश कुमार झारिया को जारी नोटिस प्रपी 45 है। जिस पर थाना प्रभारी कुलेश्वर ध्रुव के हस्ताक्षर मौजूद है। जिसे वे पहचानते है। आरोपीगणों के शिक्षाकर्मियों के नियुक्ति संबंधी आदेश के छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। जप्ती पत्रक प्रपी 06 के अनुसार जप्त दस्तावेज प्रपी 46 मूल रूप में तथा प्रपी 47 छायाप्रति एवं 48 मूल रूप में संलग्न है। जप्ती पत्रक प्रपी–07 के अनुसार जप्त दस्तावेज प्रपी 49, 50 एवं 51, 52 छायाप्रति के रूप में संलग्न है। जप्ती पत्रक प्रपी 08 के अुनसार जप्त दस्तावेज प्रपी 53, 54 एवं 55 छायाप्रति के रूप में संलग्न है। जप्ती पत्रक प्रपी 09 के अनुसार जप्तशुदा दस्तावेज राजेश कुमार का स्काउड प्रमाण पत्र प्रपी 56 छायाप्रति के रूप में संलग्न है।

99) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जप्ती पत्रक प्रपी 10 के अनुसार जप्तशुदा ओमप्रकाश का स्काउड प्रमाण पत्र प्रपी 57 छायाप्रति के रूप में संलग्न है। शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम प्रपी 58 के रूप में संलग्न है। सचिव भारत स्काउड गाईड भोपाल को प्रेषित तहरीर की प्रति प्रपी 59 तथा प्राप्त जानकारी प्रपी 60 के रूप में प्रकरण में संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को प्रेषित तहरीर प्रपी 61 के रूप में प्रकरण में संलग्न है। खिलेश्वरी साहू का

वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट प्रपी 62, कमलेश कुमार माखिजा का वेरिफिकेशन ऑप मार्कशीट प्रपी 63 के रूप में प्रकरण में संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा खिलेश्वरी, नंदकिशोर देशलहरे और कृष्णकुमार साहू के अंकसूची भिन्नता संबंधी जानकारी प्रपी 64 के रूप में प्रकरण में संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से अश्वनी, संजय, लखन, नंदकिशोर, अश्वनी, संजय कुमार, लखन एवं नंदकिशोर की अंकसूची की जानकारी प्रपी 65 के रूप में प्रकरण में संलग्न है। प्रार्थी का कथन उसके बताये अनुसार उनके द्वारा लेखबद्व किया गया था।

100) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि केस डायरी के सत्यापित प्रति जो आज दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा पेश किया गया। उक्त केसडायरी में उनके द्वारा प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 के समस्त दस्तावेजो को जप्त किया गया था। साक्षी ने बताया कि है कि जप्ती पत्रक प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 तक के समस्त दस्तावेज मूल अथवा छायाप्रति किसी भी रूप में प्रकरण में संलग्न नहीं है। चूंकि उनका स्थानांतरण अन्यत्र थाना हो जाने से उपरोक्त जप्तशुदा दस्तावेज तत्कालीन थाना प्रभारी को सौंप दिया था। चूंकि केस डायरी के सत्यापित प्रति में उपरोक्त दस्तावेजों की जप्ती उल्लेखित है। इसलिए संबंधित थाना द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों को जानकारी दी जा सकती है।

101) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन और उसमें संलग्न छायाप्रति में दस्तावेजों के साथ प्रार्थी कृष्णकुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के छायाप्रति के आधार पर ही विवेचना की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु आरोपित उम्मीदवारों ने जनपद कार्यालय में अपने आवेदन के साथ अपनी शिक्षा एवं अन्य पात्रता संबंधित दस्तावेजों के अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर पेश की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि किसी दस्तावेज की मूल समक्ष हो और उसका सत्यापन जारीकर्ता संस्था से कराया जाये तो वह जारीकर्ता संस्था ही बता सकती है कि दस्तावेज सही है अथवा फर्जी है या कूटरचित है।

102) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि मूल्यांकन समिति के कार्य के स्तर पर छायाप्रति के रूप में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर टेबूलेशन के कार्य को जो उम्मीदवार की वरीयता के लिये तैयार किया जाना था। उस स्तर पर मूल्यांकन समिति को संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण और उसे अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न उम्मीदवारों के जितने भी प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति के रूप में संलग्न है। उनके अभिप्रमाणन कर्ताओ से उसने पूछताछ नहीं कि

थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि अभिप्रमाणन कर्ता मूल दस्तावेज देख करके छायाप्रति का अभिप्रमाणन करते है।

103) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में आरोपी शिक्षाकर्मियों सहित अन्य लोगों के नियुक्ति आदेश उसने प्रकरण में जप्त किया था। इनकी छायाप्रति संलग्न है। जो चालान फाईल में पृष्ठ क्रमांक 116 से 140 तक की संख्या में संलग्न है। विभिन्न दिनांक 18.09.2007, 24.08.2007, 26.09.2007, 17.08.2007 को पृथक पृथक जारी किये गये थे। उक्त सभी आदेश की कंडिका 7 में अभ्यर्थीयों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्र पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की शर्त उल्लेखित है। इसी तरह कंडिका 11 में नियुक्त अभ्यर्थीयों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपनी समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित अपनी उपस्थिति कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को देने का निर्देश अंकित है।

104) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी की लिखित शिकायत एवं वरिष्ठ कार्यालय के जांच प्रतिवेदन में मूल्यांकन समिति के सदस्यों जिनमें आरोपी भूपेश फाये भी सामिल है का नाम आ चुका था। उनकी ओर से आरोपी भूपेश फाये या अन्य मूल्यांकन समिति के सदस्यों से कोई

पूछताछ नहीं की गई थी। विवेचना के आगे स्तर पर किसी अन्य विवेचक द्वारा की गई है तो वे आज नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती के लिये आवेदन आने से लेकर नियुक्ति आदेश जारी करने तक की दिनांक की कोई भी कार्यवाही पंजी, नोटशीट आदि जप्त नहीं किये गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में विवेचना के दौरान कार्यालय जनपद मैनपुर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी उसने इस प्रकरण विशेष के विषय में कोई पूछताछ नहीं की थी।

105) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने उम्मीदवारों द्वारा जिन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। वे किन साधनों से और कहां तैयार किये थे। इस बाबत कोई जप्ती नहीं की है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि स्थानांतरण होने के कारण आगे की विवेचना एवं आगे की कार्यवाही अन्य विवेचना अधिकारी द्वारा किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शैक्षणिक अथवा किसी भी अन्य गतिविधियों के प्रमाण पत्र का एक निश्चित प्रारूप, शैली एवं लोगो होता है। जिससे उसकी विशिष्ठ पहचान होती है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेजों की छायाप्रति में उपरोक्त दर्शित विशेषता पहचानी नहीं जा सकती है। उस पर साक्षी का कहना है कि छायाप्रति में भी उनकी विशेषता पहचानी जा सकती है कि वे दस्तावेज फर्जी है

अथवा नहीं। क्योंकि छायाप्रति में भी स्पष्टता से उन कमियों को पहचाना जा सकता है।

106) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कोई विशेष दस्तावेज निश्चित प्रारूप, शैली, लोगों, प्रिंटिग स्टाईल एवं क्रमांक के साथ जारी किये गये प्रमाण पत्र को उसकी जारीकर्ता संस्था ही अपनी दस्तावेजों के आधार पर बता सकती है कि उपयोग किये जा रहे दस्तावेज मूल है अथवा फर्जी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोई भी दाण्डिक कार्यवाही या उम्मीदवारों के दस्तावेजों को फर्जी अथवा संदिग्ध बताकर अस्वीकार करने का आधार जारीकर्ता का सत्यापन ही हो सकता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण वे आज नहीं बता सकते कि थाना मैनपुर में किस दिनांक, माह व वर्ष से लेकर, किस दिनांक, माह व वर्ष तक थाना प्रभारी के रुप में पदस्थ रहे है, साक्षी ने स्वतः कहा है कि वर्ष 2012 में वे थाना प्रभारी मैनपुर के रुप में पदस्थ रहे है।

107) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार साहू प्रार्थी के द्वारा थाना मैनपुर में स्वयं उपस्थित होकर स्वयं लिखित शिकायत देकर कोई प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं कराया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार साहू प्रार्थी के द्वारा दिनांक 28.06.2011 को पुलिस अधीक्षक रायपुर को लिखित शिकायत दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया

है कि प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू के द्वारा पुलिस अधीक्षक रायपुर को दिये गये लिखित शिकायत आवेदन की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद के द्वारा की गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचनापत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूचना दिये जाने में विलंब का कारण आवेदन पत्र जांच उपरांत प्राप्त होने से उल्लेखित किया गया है।

108) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि शिकायत आवेदन पत्र की कोई जांच नहीं होती। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज की जाती है। उसके पश्चात जांच की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। साक्षी ने स्वतः कहा कि वित्तीय अनियमितता, जमीन संबंधी मामले तथा ऐसे प्रकरण जिनमें दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। उनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संज्ञेय मामले में कोई शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरांत खात्मा या खारिजी पेश किया जाता है। साक्षी ने स्वतः कहा कि खात्मा या खारिजी उस प्रकरण के तथ्यों या जांच में आये आधारों पर किया जाता है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि बिना प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये पुलिस के द्वारा जांच प्रारंभ नहीं की जा सकती। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ए०आर०बैरागी

अनुविभागी अधिकारी पुलिस गरियाबंद के रुप में तात्कालिन समय में पदस्थ थे और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय गरियाबंद में थी।

109) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि ए०आर०बैरागी अनु०वि०पुलिस गरियाबंद के द्वारा इस प्रकरण के संबंध में जांच किस रुप में और किस तरह संपादित किये उन्हें उसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि वे मामले में सलग्न प्रपी –39 है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनु०वि०अधिकारी पुलिस गरियाबंद द्वारा दिनांक 20.08.2011 को जांच प्रतिवेदन तैयार किया था। जिसमें दस्तावेज संलग्न थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 20.08.2011 को अनु०वि०पुलिस गरियाबंद द्वारा जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को सौपा गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 20.08.2011 के जांच प्रतिवेदन के विषय में आवेदक कृष्ण कुमार साहू निवासी– चंदना चौकी करेलीबडी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र की जांच प्रतिवेदन उल्लेखित किया गया है।

110) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 07.11.2011 को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद द्वारा थाना प्रभारी मैनपुर को अनावेदकगणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद

के पत्र दिनांक 07.11.2011 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को तीन दिवस में अवगत कराये। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के पत्र दिनांक 07.11.2011 में संलग्न के रुप में जिन दस्तावेजों को सलग्न किया जाना लिखा है। उसे पेन से लिखा गया है, टाइप किया गया नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ए०आर० बैरागी एसडीओपी गरियाबंद द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कही पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा शिक्षाकर्मीयों से संबंधित प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्थानों में भेजकर सत्यापन कराया गया हो।

111) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस थाना मैनपुर द्वारा शिक्षाकर्मियों के प्रमाण पत्रों की सत्यापन संबंधित संस्थानों से कराये बगैर दिनांक 12.01.2012 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर दी गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अनु०वि०अधि०पुलिस गरियाबंद द्वारा मु०कार्यपालन अधि०जन०पंचा०मैनपुर में उपस्थित होकर कोई कार्यवाही सम्पादित किया हो ऐसा कोई उल्लेख जांच प्रतिवेदन प्रपी–39 में नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षाकर्मी अनु०अधि०पु० गरियाबंद के समक्ष उपस्थित होकर किसी कार्यवाही में भाग लिया हो ऐसा जांच प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने विवेचना के दौरान शिक्षाकर्मियों के प्रमाण पत्रों के

संबंध में संबंधित संस्थानों को मूल अंकसूची भेजकर सत्यापन नहीं कराया है। साक्षी ने स्वतः कहा कि उक्त सत्यापन संबंधित शिक्षाकर्मियों के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति भेजकर कराया गया है।

112) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने विवेचना के दौरान नंदकिशोर देवांगन के हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र के संबंध में शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी से संबंधित परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी कृष्ण कुमार के बताये अनुसार जनसूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना के अधिकार के संबंध में कोई जांच के दौरान संबंधित जनसूचना अधिकारी से कोई पूछताछ नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी 48 का दस्तावेज शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी से जारी किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं किया है।

113) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त संस्था में उपलब्ध शासकीय अभिलेख के आधार पर उसने उक्त जानकारी प्राप्त नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र जारीकर्ता संस्था छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को

संबंधित परीक्षार्थीयो का मूल अंकसूची भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–21 में प्रकरण के प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू द्वारा शिक्षाकर्मियों से संबंधित हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र को छ०ग० मा०शि मंडल रायपुर से सत्यापन कराया गया हो उस बात का उल्लेख प्रपी 21 में नहीं है।

114) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मा०शि०मं० रायपुर से संबंधित किसी भी व्यक्ति अथवा सहायक सचिव छ०ग०मा०शि०मं० रायपुर को इस मामले में बतौर गवाह संयोजित नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मा०शि०मं०रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर द्वारा सत्यापन संबंधित तहरीर अथवा पत्र की मूल प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कमलेश माखिजा से संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा जिला बिलासपुर से मूल अंकसूची भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने विवेचना के दौरान कमलेश माखिजा के डी एड प्रमाण पत्र के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा से संबंधित परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है।

115) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी कृष्ण कुमार के बताये अनुसार जनसूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना

के अधिकार के संबंध में कोई जांच के दौरान संबंधित जनसूचना अधिकारी से कोई पूछताछ नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–46 का दस्तावेज प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा जिला बिलासपुर से जारी किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं किया है। साक्षी ने स्वतः कहा है कि उनके द्वारा केवल प्रारंभिक विवेचना किया गया था एवं स्थानांतरण के कारण बाकी विवेचना अन्य पुलिस अधिकारीगण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है एवं अभियोग पत्र भी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

116) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियोग पत्र थाना मैनपुर द्वारा धारा 173(8) दप्रसं के तहत प्रस्तुत की गई थी। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 तक में उल्लेखित दस्तावेजों को जप्त नहीं किया था। इसलिए प्रकरण में संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार द्वारा स्वयं आकर थाने में आरोपीगण के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उप पुलिस अधीक्षक बैरागी साहब द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके साथ जो दस्तावेज थे। वो सभी फोटोकापी थे। साक्षी ने स्वतः कहा कि वे यह नहीं बता सकते कि उक्त सभी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है या नहीं। साक्षी ने यह

स्वीकार किया है कि उप पुलिस अधीक्षक श्री बैरागी साहब का उसने इस प्रकरण में कोई बयान नहीं लिया है।

117) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें पालन प्रतिवेदन के बाद तीन दिन के अंदर अवगत कराने कहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने कृष्ण कुमार से जितने भी दस्तावेज जप्त किये थे। जिसमें स्काउड गाईड, मार्कशीट, प्रमाण पत्र कोई भी असल प्रति नहीं थी। सभी फोटो कापी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार से जप्ती के प्रत्येक पेज में उसने ना स्वयं हस्ताक्षर किया है और ना ही कृष्ण कुमार का हस्ताक्षर लिया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने चन्द्रकुमार नागेश से संबंधित तैयार संपत्ति जप्ती पत्रक प्रपी 01 के प्रत्येक पृष्ठों पर पृथक पृथक रूप से अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। साक्षी ने स्वतः कहता है कि उक्त दस्तावेज कंटिनिवेशन पर है। इसलिए उसने अंतिम पेज पर हस्ताक्षर किये है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार साहू और चन्द्रकुमार नागेश से जितने भी दस्तावेज जप्त किये थे। कोई भी प्रकरण में संलग्न नहीं है।

118) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे मई 2012 से अक्टूबर 2012 तक थाना प्रभारी मैनपुर के पद पदस्थ थे। इस दौरान अपराध क्रमांक 08/12 की केस डायरी विवेचना हेतु उन्हें प्राप्त हुई थी।

आरोपी कुन्तराम के प्रपी–32 के अनुसार, पिंकुराम को प्रपी–33, राजेश कुमार को प्रपी–34 के अनुसार, तुलसी राम को प्रपी–35 के अनुसार, नीरज सिंह को प्रपी–36 के अनुसार, ओमप्रकाश को प्रपी–37 के अनुसार साक्षियों के समक्ष गिरफतार किया गया था। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक गरियाबंद से अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 227 दिनांक 07.11.2011 प्रपी–38 के अनुसार प्राप्त होने पर संलग्न किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के साथ अनु०अधि०गरियाबंद का जांच प्रतिवेदन प्रपी–39 के अनुसार तथा कृष्ण कुमार साहू का कथन प्रपी–40 के अुनसार संलग्न है।

119) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उक्त जांच प्रतिवेदन **प्रपी–39** के साथ 80 पृष्ठों में आवेदक कृष्ण कुमार साहू का दो पन्ने में कथन अन्य दस्तावेज की छायाप्रति प्राप्त होने पर उसी रुप में संलग्नक के रुप में सलग्न है। साक्षी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय **प्रपी–39** उक्त दस्तावेज सूची में उल्लेखित दस्तावेजों तथा प्रकरण में अन्य विवेचना अधिकारी द्वारा जप्तशुदा दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था या नहीं तथा वर्तमान में प्रकरण से सबंधित मूल दस्तावेज कहां है, के संबंध में उल्लेख केस डायरी में किया गया है। विवेचना के दौरान उनके द्वारा साक्षी चन्द्रकुमार नागेश, राजेश कुमार, सुदामा ठाकुर, जगतराम साहू, टंकेश्वर, पाहरु राम का कथन उनके बताये अनुसार

लेखबद्ध किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर उनके द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

120) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनु०अधि०पुलिस गरियाबंद के जांच प्रतिवेदन के साथ उन्होने दस्तावेज जप्त किया था। वे इस प्रकरण में पेश नहीं है, डायरी में हो सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार ने जो भी दस्तावेज पेश किये थे। वे फोटोकॉपी थी। उनके द्वारा जो दस्तावेज पेश किये थे। उसे ही उसने प्रकरण में सलग्न किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार द्वारा असल दस्तावेज को पेश किया या नहीं उन्हें, नहीं मालूम, उन्हें जो दस्तावेज प्राप्त हुये थे। उसने उसे जप्त किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में मूल दस्तावेज नहीं है।

121) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कृष्ण द्वारा अगर मूल दस्तावेज पेश किया जाता, तो इस प्रकरण में सलग्न होता। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने साक्षी चन्द्रकुमार, राजेश कुमार, जगत राम साहू, सुदामा ठाकुर, टंकेश्वर, पाहरू राम का कथन अपने मन से लेखबद्ध किया है। उन्होने ऐसा बयान नहीं दिया था। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 227/11

दिनांक 7.11.2011 में संलग्न के रुप में जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। उस संलग्न को क्रमाक 01, 02 एवं 03 के रुप में पेन से लिखा गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि संपूर्ण अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

122) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 227 दिनांक 07.11.2011 में संलग्न के रूप में लिखे क्रमांक 03 में उल्लेखित छायाप्रति का कोई मूल प्रति अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय उनके द्वारा अभियोग पत्र के साथ मूलप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने साक्षी चन्द्रकुमार, राजेश कुमार, जगत राम साहू, सुदामा ठाकुर, टंकेश्वर, पाहरू राम का कथन अपने मन से अपने शब्दो में लेखबद्ध किये है। उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया था।

123) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा अपने आवेदन के साथ जो दस्तावेज दिये गये थे। वे सभी छायाप्रति थे। मूल नहीं थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा जो चालान पेश किया गया है। उसमें दस्तावेजों की मूल प्रति पेश नहीं किया गया है। छायाप्रति ही प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अंकसूची जो प्रस्तुत की गई थी, उसका

अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है एवं वे किस संस्था के द्वारा जारी किये गये है, वे नहीं बता सकते। साक्षी ने स्वतः कहा कि उक्त जानकारी दस्तावेज की छायाप्रति में उल्लेख है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मूल अंकसूची में नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर एवं छायाप्रति की अंकसूची का नाम, अनुक्रमांक एवं रोल नंबर अलग अलग होगा तो वे नहीं बता सकते।

124) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इन्कार किया है कि उसने साक्षी चन्द्रकुमार, राजेश कुमार, जगत राम साहू, सुदामा ठाकुर, टंकेश्वर, पाहरू राम का कथन अपने मन से अपने शब्दो में लेखबद्ध किये है। उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन और उसमें संलग्न छायाप्रति में दस्तावेजों के साथ प्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के छायाप्रति के आधार पर ही विवेचना की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु आरोपित उम्मीदवारों ने जनपद कार्यालय में अपने आवेदन के साथ अपनी शिक्षा एवं अन्य पात्रता संबंधित दस्तावेजों के अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर पेश की थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि संलग्न दस्तावेज कूटरचित हो सकता है। चाहे वे छायाप्रति में हो या मूल।

125) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि किसी दस्तावेज की मूल समक्ष हो और उसका सत्यापन जारीकर्ता संस्था से कराया जाये तो वे जारी करता संस्था ही बता सकती है कि दस्तावेज सही है अथवा फर्जी है या कूटरचित है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि मूल्यांकन समिति के कार्य के स्तर पर छायाप्रति के रूप में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर टेबूलेशन के कार्य को जो उम्मीदवार की वरीयता के लिये तैयार किया जाना था। उस स्तर पर मूल्यांकन समिति को संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण और उसे अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न उम्मीदवारों के जितने भी प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति के रूप में संलग्न है। उनके अभिप्रमाणन कर्ताओं से उसने पूछताछ नहीं कि थी। साक्षी ने स्वतः कहा है कि अभिप्रमाणन कर्ता मूल दस्तावेज देख करके छायाप्रति का अभिप्रमाणन करता है।

126) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में छायाप्रति के अभिप्रमाणन कर्ताओ को ना तो अभियुक्त बनाया है और ना ही गवाह बनाया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में आरोपी शिक्षाकर्मियों सहित अन्य लोगों के नियुक्ति आदेश उसने प्रकरण में जप्त किया था। इनकी छायाप्रति संलग्न है। जो चलान फाईल में पृष्ठ क्रमांक 116 से 140 तक की संख्या में संलग्न है। विभिन्न दिनांक 18.09.2007, 24.08.2007,

26.09.2007, 17.08.2007 को पृथक पृथक जारी किये गये थे। उक्त सभी आदेश की कंडिका 7 में अभ्यर्थीयों द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों में कोई विसंगति अथवा झूठे प्रमाण पत्र पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की शर्त उल्लेखित है। इसी तरह कंडिका 11 में नियुक्त अभ्यर्थीयों को कार्यभार ग्रहरण करने के पूर्व अपनी समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित अपनी उपस्थिति कार्यभार ग्रहण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर को देने का निर्देश अंकित है ।

127) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी की लिखित शिकायत एवं वरिष्ठ कार्यालय के जांच प्रतिवेदन में मूल्यांकन समिति के सदस्यों जिनमें आरोपी भूपेश फाये भी सामिल है का नाम आ चुका था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनकी ओर से आरोपी भूपेश फाये या अन्य मूल्यांकन समिति के सदस्यों से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। विवेचना के आगे स्तर पर किसी अन्य विवेचक द्वारा की गई है तो वे आज नहीं बता सकते। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु जो प्रक्रिया अपनायी गई थी। उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती के लिये आवेदन आने से लेकर नियुक्ति आदेश

जारी करने तक की दिनांक की कोई भी कार्यवाही पंजी, नोटशीट आदि जप्त नहीं किये गये थे।

128) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को वे आज चालान देखकर नहीं बता सकते कि विशेष रूप से भूपेश फाये के विरूद्ध संलग्न दस्तावेजों में कौन सा प्रमाण उपलब्ध है। जिनके आधार पर भूपेश फाये को इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि भूपेश फाये से उनके पश्चात विवेचना कर्ताओ द्वारा से पूछताछ की गई है अथवा नहीं। इस बाबत् प्रस्तुत चालान में कोई प्रमाणित रोजनामचा सान्हा आदि की प्रति संलग्न नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में विवेचना के दौरान कार्यालय जनपद मैनपुर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी उसने इस प्रकरण विशेष के विषय में कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने इस बात की जानकारी होने से इन्कार किया है कि भूपेश फाये दिनांक 10.07.2008 को मैनपुर से रायपुर ट्रायबल विभाग में पदभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त हो चुके है।

129) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उम्मीदवारों द्वारा जिन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। वे किन साधनों से और कहां तैयार किये थे। इस बाबत् कोई जप्ती नहीं दी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि शैक्षणिक अथवा किसी भी अन्य गतिविधियों के प्रमाण पत्र का

एक निश्चित प्रारूप, शैली एवं लोगो होता है। जिससे उसकी विशिष्ठ पहचान होती है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेजों की छायाप्रति में उपरोक्त दर्शित विशेषता पहचानी नहीं जा सकती है। इस पर साक्षी का कहना है कि छायाप्रति में भी उनकी विशेषता पहचानी जा सकती है कि वे दस्तावेज फर्जी है अथवा नहीं। क्योंकि छायाप्रति में भी स्पष्टता से उन कमियों को पहचाना जा सकता है।

130) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कोई विशेष दस्तावेज निश्चित प्रारूप, शैली, लोगो, प्रिंटिग स्टाईल एवं क्रमांक के साथ जारी किये गये प्रमाण पत्र को उसकी जारीकर्ता संस्था ही अपनी दस्तावेजों के आधार पर बता सकती है कि उपयोग किये जा रहे दस्तावेज मूल है अथवा फर्जी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोई भी दाण्डिक कार्यवाही या उम्मीदवारों के दस्तावेजों को फर्जी अथवा संदिग्ध बताकर अस्वीकार करने का आधार जारीकर्ता का सत्यापन ही हो सकता है। अन्य आधार पर अथवा किसी अन्य के दस्तावेजों को संदिग्ध या फर्जी होना कहने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। साक्षी ने केस डायरी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह बताया कि वर्तमान में केसडायरी पठनीय प्रतीत नहीं होता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 के अनुसार जप्तशुदा दस्तावेजों का उल्लेख

अभियोग पत्र के साथ उल्लेखित नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि जप्ती पत्रक का उल्लेख है।

131) उपरोक्त सभी साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन किया गया। सर्व प्रथम अभियोजन को यह प्रमाणित करना है कि आरोपीगण कुवंर सिंह मार्को, भूपेश फाये, विकास पाण्डे, देवकुमार सोनी, राजेन्द्र मांझी, सुश्री मीना तिर्की, उमेश कुमार, नीरज सिंह ठाकुर उक्त घटना दिनांक, समस व स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर पदस्थ होते हुये तथा चयन समिति के सदस्य होते हुए, शिक्षाकर्मी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पद के चयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में अन्य आवेदकगण से मिलकर स्काउट/गाईड एवं अन्य दस्तावेज को छल करने के आशय से अपात्र व्यक्तियों को नौकरी दिलाने में सहयोग करने के लिये बेईमानी से प्रस्तुत कराकर छल कारित किया एवं यह जानते हुये कि अन्य आरोपीगण के द्वारा प्रस्तुत अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी होना जानते हुये , विज्ञापित आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया और उक्त दस्तावेजों के आधार पर षडयंत्र पूर्वक शिक्षाकर्मी के पद की नियुक्ति प्रदान की गई।

132) अभियोजन ने अपने साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जिससे यह प्रमाणित हो की घटना के समय आरोपीगण कुवंर सिंह मार्को, भूपेश फाये, विकास पाण्डे, देवकुमार सोनी, राजेन्द्र मांझी, सुश्री मीना तिर्की, उमेश

कुमार, नीरज सिंह ठाकुर चयन समिति के सदस्य थे। ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कुवंर सिंह मार्को, भूपेश फाये, विकास पाण्डे, देवकुमार सोनी, राजेन्द्र मांझी, सुश्री मीना तिर्की, उमेश कुमार, नीरज सिंह ठाकुर चयन समिति के सदस्य थे।

133) अब अभियोजन को यह प्रमाणित करना है कि आरोपीगण नंदकिशोर, कमलेश माखिजा, कुमारी सावित्री, लखन लाल साहू, अश्वनी कुमार साहू , लोकेश्वर तारक, कुंतराम, राजेश कुमार साहू , ओमप्रकाश साहू , तुलसीराम सिन्हा, पिंकु साहू, संजय वर्मा, नदंकुमार देशलहर, कु० खिलेश्वरी साहू, ने शिक्षाकर्मी की नौकरी प्राप्त किया था। उक्त् संबंध में अभियोजन साक्षी कृष्ण कुमार साहू का कथन है कि जनपद पंचायत मैनपुर भर्ती वर्ष 2007 शिक्षाकर्मी वर्ग तीन की नियुक्ति से संबंधित सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज के प्रथम दृष्टया संदेहास्पद होने पर संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की गई।

134) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जिसमें शिक्षाकर्मी कुंतराम साहू, प्राथमिक शाला धोबनडीह के राज्यपाल के द्वारा उपयोग में लाये गये, राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 1991, शिक्षाकर्मी तुलसीराम सिन्हा, प्राथमिक शाला कुरला पारा के द्वारा राज्यपाल के द्वारा उपयोग में लाये गये, राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 1999, शिक्षाकर्मी सावित्री

निषाद प्राथमिक शाला शुक्ला भाटा द्वारा उपयोग में लाये गये राष्ट्रीय खेलकुद प्रमाण पत्र वर्ष 2002 प्रमाण पत्र को जारी नहीं होना बताया।

135) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि शिक्षाकर्मी लोकेश्वर प्रसाद तारक माध्यमिक शाला कुचेगा द्वारा उपयोग में लाये गये राज्य पाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2003, शिक्षाकर्मी पिंकू राम साहू प्राथमिक शाला पथराझोर की द्वारा उपयोग में लाया गया राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2004, शिक्षाकर्मी राजेश कुमार साहू शासकीय प्राथमिक शाला कछरापारा के दस्तावेज में संलग्न राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र, वर्ष 2004–05 एवं शिक्षाकर्मी ओमप्रकाश साहू माध्यमिक शाला इंदागांव द्वारा उपयोग में लाये गये राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2005 के संबंध में राज्य सचिव भारत एवं स्काउट गाईड कार्यालय रायपुर ने अपने पत्र में उपयोग में लाये गये राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र को जारी नहीं होना बताया।

136) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि इसी तरह शिक्षाकर्मी ओमप्रकाश वर्ष 2004 में हायर सेकेन्डरी में छ०ग०मा०शि०म० रायपुर की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। जबकि उपयोग में लाया गया राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2005 छात्र जीवन से बाहर है। जो प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद व फर्जी प्रतित होता है। जबकि शिक्षाकर्मी राजेश कुमार साहू

आवेदन में संलग्न दस्तावेज राज्यपाल स्काउट गाईड प्रमाण पत्र वर्ष 2004 एवं 2005 का उल्लेख है। शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की विहित अर्हता हायर सेकेन्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र 12 वीं प्रमाण पत्र का छ०ग०मा०शि०म०रायपुर के अंक प्रति पर्ण वेबसाईड डब्लू डब्लू.डब्लू. सी.जी.बी.एस.ई.एन.आई.सी.आई एन. जिसमें 12 वीं का परीक्षा परिणाम अपडेट है, जिसमें मिलान करने पर मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र व उपयोग में लाये गये हायर सेकेन्डरी प्रमाण पत्र के अंकों में भारी भिन्नता पाई गई।

137) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि जिसमें शिक्षाकर्मी संजय कुमार वर्मा प्राथमिक शाला बेसराइझर के 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/282 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/332 अंतर 11 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी लखन लाल साहू प्राथमिक शाला बिरीघाट 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/241, उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/349 अंतर 24 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी अश्वनी कुमार साहू प्राथमिक शाला भेजीपदर 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/288 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 450/338 अंतर 11 प्रतिशत है। शिक्षाकर्मी नंदकुमार देशलहरे प्राथमिक शाला पथराझोरखी 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/264 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/364 अंतर 20 प्रतिशत है एवं शिक्षाकर्मी खिलेश्वरी साहू प्राथमिक शाला जुरापहरा उरमाल 12 वीं मूल प्रमाण पत्र में प्राप्तांक

500/307 उपयोग में लाये गये प्रमाण पत्र में प्राप्तांक 500/366 अंतर 12 प्रतिशत है कि भारी भिन्नता पाई गई।

138) कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि इसी तरह शिक्षाकर्मी नंदकिशोर देवांगन प्राथमिक शाला कोतरा डोंगरी द्वारा उपयोग में लाया गया 12 वीं प्रमाण पत्र वर्ष 2005 अनुक्रमांक 15502257, प्राप्तांक 500/407 बराबर 81.4 प्रतिशत के संबंध में परीक्षार्थी के परीक्षा उत्तीर्ण संस्था शासकीय कन्या आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला धमतरी ने अपने पत्र में उक्त परीक्षार्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेना बताया। छात्र द्वारा कन्या शाला में नियमित विद्यार्थी का होना प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसी तरह शिक्षाकर्मी कमलेश माखीजा प्राथमिक शाला कुल्हाडीघाट द्वारा उपयोग में लाया गया डिप्लोमा इन एजूकेशन प्रमाण पत्र वर्ष 2003 अनुक्रमांक 4285363 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) पेण्ड्रा रोड बिलासपुर के संबंध में संस्था के प्राचार्य ने उक्त परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना बताया है। प्रमाण पत्र में बने हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा को गलत बताया है।

139) अभियोजन साक्षी कृष्ण कुमार साहू अ०सा०–3 ने अपने मौखिक साक्ष्य के साथ ऐसा कोई दस्तोवज पेश नहीं किया है कि जिससे यह प्रमाणित हो उपरोक्त लोगों ने शिक्षा कर्मी की नौकरी प्राप्त किया हो। साक्षी का कथन है कि उपरोक्त

आरोपीगण ने कूटरचित दस्तोवज का उपयोग किया था। किन्तु अभियोजन ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश या प्रमाणित नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आरोपीगण के द्वारा फर्जी दस्तोवज के आधार पर नौकरी प्राप्त किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त आरोपीगण के शिक्षा कर्मी की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश या प्रमाणित नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त आरोपीगण के अपाईन्टमेंट लेटर भी प्रमाणित नहीं किया है।

140) चन्द्रकुमार नागेश अ०सा०–1 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे उनके कब्जे से पुलिस वाले शिक्षाकर्मी भर्ती से संबंधित आवेदन में संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति, निवास, स्काउट गाईड, खेल कूद, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज कुल 14 अभ्यार्थियों के दस्तावेज जप्त किये थे। परन्तु जप्ती पत्रक प्रपी–1 के अनुसार जप्त कोई भी दस्तावेज अभिलेख के साथ नहीं चस्पा नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक के द्वारा कौन–कौन से दस्तावेज और किसके किसके दस्तावेज जप्त किये थे। उन्हें आज याद नही है।

141) रामचन्द बोहरपी अ०सा०–14 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वे वर्ष 2012 में भारत स्काउट एण्ड गाईड मप्र राज्य मुख्यालय शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल में सहायक ग्रेड 02 के पोस्ट पर पदस्थ होकर कार्यरत थे। उनकी पदस्थपना के दौरान पुलिस द्वारा भारत सिंह यादव पुरूस्कार संबंधी शाखा

देख रहे थे। पुलिस वाले भरत सिंह यादव से पुरूस्कार से संबंधित रजिस्टर राज्य पुरूस्कार स्काउट गाईड जो राज्यपाल द्वारा प्रदत्त किया जाता है, से संबंधित 01 रजिस्टर उनसे समक्ष जप्त किये थे। उक्त रजिस्टर में प्रत्येक वर्ष जिन्हे पुरूस्कार प्राप्त होता है। उनका नाम इन्द्राज किया जाता है। जप्ती पत्रक प्रपी–28 है। जिस पर उनके हस्ताक्षर है। किन्तु अभियोजन इस साक्षी के समक्ष जप्त रजिस्टर भी विचारण के दौरान न्यायालय में पेश नहीं किया गया।

142) भारत सिंग यादव अ०सा० 15 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि पुलिस वालों ने उनसे जप्ती पत्रक प्रपी–28 के अनुसार रजिस्टर जप्त किये थे। किन्तु अभियोजन इस साक्षी के समक्ष जप्त रजिस्टर भी विचारण के दौरान न्यायालय में पेश नहीं किया गया है और ना उसकी अन्तर्वस्तु को प्रमाणित किया गया है।

143) प्रकरण में जहां तक अभियोजन साक्षी विमलेश दुबे की कथनों की विश्वनियता का प्रश्न है। विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि केस डायरी के सत्यापित प्रति जो आज दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा पेश किया गया। उक्त केस डायरी में उनके द्वारा प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 के समस्त दस्तावेजो को जप्त किया गया था। साक्षी ने बताया कि है कि

जप्ती पत्रक प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 तक के समस्त दस्तावेज मूल अथवा छायाप्रति किसी भी रूप में प्रकरण में संलग्न नहीं है।

144) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ए०आर० बैरागी एसडीओपी गरियाबंद द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कही पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा शिक्षाकर्मीयों से संबंधित प्रमाण पत्रों को संबंधित संस्थानों में भेजकर सत्यापन कराया गया हो। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–48 का दस्तावेज शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी से जारी किया गया है अथवा नहीं इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त संस्था में उपलब्ध शासकीय अभिलेख के आधार पर उसने उक्त जानकारी प्राप्त नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र जारीकर्ता संस्था छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को संबंधित परीक्षार्थीयो का मूल अंकसूची भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है।

145) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रपी–21 में प्रकरण के प्रार्थी कृष्ण कुमार साहू द्वारा शिक्षाकर्मियों से संबंधित हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र को छ०ग० मा०शि मंडल रायपुर से सत्यापन

कराया गया हो उस बात का उल्लेख प्रपी 21 में नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मा०शि०मं० रायपुर से संबंधित किसी भी व्यक्ति अथवा सहायक सचिव छ०ग०मा०शि०मं० रायपुर को इस मामले में बतौर गवाह संयोजित नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मा०शि०मं०रायपुर को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर द्वारा सत्यापन संबंधित तहरीर अथवा पत्र की मूल प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं है।

146) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कमलेश माखिजा से संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा जिला बिलासपुर से मूल अंकसूची भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने विवेचना के दौरान कमलेश माखिजा के डी एड प्रमाण पत्र के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा से संबंधित परीक्षार्थी का प्रमाण पत्र भेजकर सत्यापन नहीं कराया गया है।

147) विमलेश दुबे अ०सा०–17 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी कृष्ण कुमार के बताये अनुसार जनसूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना के अधिकार के संबंध में कोई जांच के दौरान संबंधित जनसूचना अधिकारी से कोई पूछताछ नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी–46 का दस्तावेज प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा जिला बिलासपुर से जारी किया गया

है अथवा नहीं इस संबंध में उसने कोई जांच नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार साहू और चन्द्रकुमार नागेश से जितने भी दस्तावेज जप्त किये थे। कोई भी प्रकरण में संलग्न नहीं है।

148) चूकि प्रकरण के विवेचना अधिकारी विमलेश दुबे अथवा किसी अन्य विवेचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तोवज प्रपी–46 एवं प्रपी–48 का जांच नहीं कराया गया है और ना ही उक्त दस्तोवज जारी करने वालों का साक्ष्य कराया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है, उक्त दस्तोवज उक्त संस्था द्वारा जारी किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार साहू और चन्द्रकुमार नागेश से जितने भी दस्तावेज जप्त किये थे। कोई भी प्रकरण में संलग्न नहीं है। अतः बिना किसी दस्तावेज के अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

149) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अनु०अधि०पुलिस गरियाबंद के जांच प्रतिवेदन के साथ उन्होने दस्तावेज जप्त किया था। वे इस प्रकरण में पेश नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कृष्ण कुमार ने जो भी दस्तावेज पेश किये थे। वे फोटोकॉपी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में मूल दस्तावेज नहीं है।

150) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक गरियाबंद के प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 227 दिनांक 07.11.2011 में संलग्न के रूप में लिखे क्रमांक 03 में उल्लेखित छायाप्रति का कोई मूल प्रति अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय उनके द्वारा अभियोग पत्र के साथ मूलप्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अंकसूची जो प्रस्तुत की गई थी, उसका अनुक्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है एवं वे किस संस्था के द्वारा जारी किये गये है, वे नहीं बता सकते। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में छायाप्रति के अभिप्रमाणन कर्ताओ को ना तो अभियुक्त बनाया है और ना ही गवाह बनाया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा शिक्षाकर्मी भर्ती के लिये आवेदन आने से लेकर नियुक्ति आदेश जारी करने तक की दिनांक की कोई भी कार्यवाही पंजी, नोटशीट आदि जप्त नहीं किये गये थे।

151) तुलेश्वर सिंह ध्रुव अ०सा०–18 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उम्मीदवारों द्वारा जिन दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। वे किन साधनों से और कहां तैयार किये थे। इस बाबत् कोई जप्ती नहीं दी है। साक्षी ने केस डायरी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात यह बताया कि वर्तमान में केसडायरी पठनीय प्रतीत नहीं होता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि

प्रपी 01, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 के अनुसार जप्तशुदा दस्तावेजों का उल्लेख अभियोग पत्र के साथ उल्लेखित नहीं है। साक्षी ने स्वतः कहा कि जप्ती पत्रक का उल्लेख है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त जप्ती पत्रक के अनुसार जप्त दस्तावेज प्रकरण के साथ पेश नहीं किया गया है और ना उक्त दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये गये केस डायरी में संलग्न है। अतः बिना किसी दस्तावेज के अभियोजन का मामला संदेह के परिधि में आता है।

152) किसी भी आपराधिक प्रकरण में मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन का होता है। प्रकरण में अभियोजन अपने मामले को प्रमाणित करने में असफल रहा है। संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाता है। अतः अभियोजन आरोपीगण कुवंर सिंह मार्को, भूपेश फाये, विकास पाण्डे, देवकुमार सोनी, राजेन्द्र मांझी, सुश्री मीना तिर्की तथा उमेश कुमार पर धारा 420, सहपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप को प्रमाणित करने में असफल रहा है।

153) उसी प्रकरण अभियोजन आरोपीगण नंदकिशोर, कमलेश माखिजा, कुमारी सावित्री, लखन लाल साहू, अश्वनी कुमार साहू , लोकेश्वर तारक, कुंतराम, राजेश कुमार साहू , ओमप्रकाश साहू , तुलसीराम सिन्हा, पिंकु साहू एवं संजय वर्मा के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**–विचारणीय प्रश्न क्रमांक–8 का निष्कर्ष एवं आधार–**

154) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से, प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 तथा 420 सहपठित धारा 120 बी की अंतर्वस्तु अप्रमाणित पाई जाती है। परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण कुंवर सिंग मार्को पिता स्व० गुलाब सिंग मार्को, उम्र–64 वर्ष, निवासी– अहिरगंवा, थाना पुरना पठार, जिला अनुपपुर (म०प्र०), भूपेश फाये पिता स्व० डॉ० जे बी फाये, उम्र–42 वर्ष, निवासी– शैलेन्द्र नगर, सी–139 रायपुर, थाना सिविल लाईन जिला रायपुर (छ०ग०), विकास पाण्डे पिता आर पी पाण्डे, उम्र– 40 वर्ष, निवासी– अमलीपदर, थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद (छ०ग०), देव कुमार सोनी पिता लालाराम सोनी, उम्र–48 वर्ष, निवासी– बजरंग चौक गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद (छ०ग०), राजेन्द्र मांझी पिता हीरासिंह, उम्र– 46 वर्ष, निवासी– फरसरा, थाना इंदागांव जिला–गरियाबंद (छ०ग०), सुश्री मीना तिर्की पिता स्व० ईश्वर प्रसाद तिर्की, उम्र–55 वर्ष, निवासी–रावणभांठा गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ०ग०) एवं उमेश कुमार पिता ईश्वर सिंह, उम्र– 44 वर्ष, निवासी– अमलीपदर, थाना– अमलीपदर, जिला गरियाबंद (छ०ग०)** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के आरोप से "**दोषमुक्त**" किया जाता है।

155) उसी प्रकार आरोपीगण **नंदकिशोर पिता खेमराज देवांगन, उम्र– 35 वर्ष, निवासी–कटगी, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०), कमलेश माखिजा पिता शेलुदास, उम्र– 43 वर्ष, निवासी– भानखोज, थाना आरंग, जिला रायपुर (छ०ग०), कुमारी सावित्री पिता टिभूराम निषाद, उम्र–30 वर्ष, निवासी–फिंगेश्वर थाना फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद (छ०ग०), लखन लाल साहू पिता बृजलाल साहू, उम्र–30 वर्ष निवासी–भैंसा, थाना खरोरा, जिला बलौदाबाजार (छ०ग०), अश्वनी कुमार साहू पिता चमरुराम साहू, उम्र– 34 वर्ष, निवासी–बुडेनी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ०ग०), लोकेश्वर तारक पिता दीनदयाल तारक, उम्र– 32 वर्ष, निवासी– अटंग थाना कुरूद, जिला धमतरी (छ०ग०), कुंतराम पिता स्व० चोवाराम साहू, उम्र– 38 वर्ष, साकिन–परसदाकला, थाना फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद (छ०ग०), राजेश कुमार साहू पिता टीकाराम साहू, उम्र–24 वर्ष, साकिन–गोबरा नवापारा, रिलायंस टावर के पास, थाना गोबरा नवापारा, जिला रायपुर (छ०ग०), ओमप्रकाश साहू पिता जगतराम साहू, उम्र–26 वर्ष, साकिन–इर्रा, थाना भरवारा, जिला धमतरी (छ०ग०), तुलसीराम सिन्हा पिता पहरुराम सिन्हा, उम्र– 30 वर्ष, साकिन–सिलघट, थाना भरवारा, जिला धमतरी (छ०ग०), पिंकु साहू पिता सखाराम साहू, उम्र–25 वर्ष, निवासी– बुडेनी, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ०ग०) एवं संजय वर्मा पिता श्री विशाल वर्मा, उम्र– 35 वर्ष,**

**साकिन– ग्राम मटीया, थाना पाटन, दुर्ग (छ०ग०) को भा०दं०सं० की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।**

156) अभियुक्तगण इस प्रकरण में पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्तगण की ओर से धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलका, निर्णय दिनांक से 6 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा।

157) अभियुक्तगण की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के संबंध में दं०प्र०सं० की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे है। जो निर्णय का भाग होगा।

158) प्रकरण में अन्य आरोपीगण फरार है। अतः प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

**स्थान – गरियाबंद**

**दिनांक 15–02–2024**

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर उद्घघोषित किया गया ।

PRASHANT KUMAR DEWANGAN

**प्रशांत कुमार देवांगन**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
**गरियाबंद छ०ग०**

मेरे निर्देशन में टँकित किया गया

Digitally signed by PRASHANT KUMAR DEWANGAN

**प्रशांत कुमार देवांगन**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
**गरियाबंद छ०ग०**

**CRIMINAL CASE 620/2012**
**सी आई एस नंबर–620/2012**
**राज्य विरुद्ध कुंवर सिंह एवं अन्य**

## प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दं०प्र०सं०

| क्रमांक | अभियुक्त | गिरफ्तारी दिनांक | Date of release on bail | whether acquitted or convicted | पुलिस अभिरक्षा की अवधि | Period of detention undergone during for trial for purpose of section 428 Cr.p.c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कुंवर सिंह मार्को | 15.03.2012 | 12.10.2012 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15/03/2012 से दिनांक 12/10/2012 तक |
| 2 | कुन्तराम साहू | 20.06.2012 | 29.06.2012 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 26/06/2012 से दिनांक 29/06/2012 तक |
| 3 | पिंकुराम साहू | 20.06.2012 | 29.06.2012 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 26/06/2012 से दिनांक 29/06/2012 तक |
| 4 | राजेश कुमार साहू | 20.06.2012 | 28.10.2013 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 20/06/2012 से दिनांक 28.10.2013 तक |
| 5 | तुलसी राम सिन्हा | 29.06.2012 | 05.07.2012 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 29/06/2012 से दिनांक 05/07/2012 तक |
| 6 | ओमप्रकाश साहू | 18.07.2012 | 24.07.2012 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 18/07/2012 से दिनांक 24/07/2012 तक |
| 7 | उमेश कुमार पटेल | 24.11.2014 | 28.11.2014 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 24/11/2014 से दिनांक 28/11/2014 तक |
| 8 | देवकुमार सोनी | 15.01.2013 | 15.01.2013 | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 9 | भूपेश फाये | 15.01.2013 | 15.01.2013 | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 10 | सुश्री मीना तिर्की | 09.03.2015 | 09.03.2015 | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | विकास पाण्डे | 08.04.2015 | 08.04.2015 | दोषमुक्त | निरंक | निरंक |
| 12 | राजेन्द्र मांझी | 15.09.2015 | 17.09.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15.09.2015 से दिनांक 17.09.2015 तक |
| 13 | कमलेश माखिजा | 15.09.2015 | 17.09.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 15.09.2015 से दिनांक 17.09.2015 तक |
| 14 | लोकेश्वर तारक | 16.09.2015 | 18.09.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 16.09.2015 से दिनांक 18.09.2015 तक |
| 15 | अश्वनी कुमार सहू | 05.10.2015 | 07.10.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.10.2015 से दिनांक 07.10.2015 तक |
| 16 | नंदकिशोर देवांगन | 05.10.2015 | 07.10.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.10.2015 से दिनांक 07.10.2015 तक |
| 17 | संजय कुमार वर्मा | 05.11.2015 | 29.12.2015 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 05.11.2016 से दिनांक 29.12.2015 तक |
| 18 | कु० सावित्री निषाद | 27.06.2016 | 22.08.2016 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 27.06.2016 से दिनांक 22.08.2016 तक |
| 19 | लखन लाल साहू | 11.08.2016 | 22.09.2016 | दोषमुक्त | निरंक | दिनांक 11.08.2016 से दिनांक 22.09.2016 तक |

PRASHANT KUMAR DEWANGAN

Digitally signed by PRASHANT KUMAR DEWANGAN

(प्रशान्त कुमार देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गरियाबन्द (छ.ग.)